राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 22–12–2017 की कार्यसूची।

मद संख्या–01

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 18–04–2016, 27–05–2016, 11–08–2016, 21–11–2016 तथा 13–04–2017 में पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–02

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–58 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए गए परमिटों के मामले में पारित आदेशों का अनुमोदनः–

(अ)– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक **01–04–2016** से **30–11–2017** तक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87, 88(8) एवं 88(9) के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थाई परमिटः–

क्र0 सं0	परमिटों का प्रकार	परमिटों की संख्या
1	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87 के अन्तर्गत सहारनपुर–बड़कोट मार्ग पर जारी किये गये अस्थाई सवारी गाड़ी परमिटों की संख्या।	**175**
2	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87 के अन्तर्गत सहारनपुर–चकराता–त्यूनी मार्ग पर जारी किये गये अस्थाई सवारी गाड़ी परमिटों की संख्या।	**13**
3	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87 के अन्तर्गत सहारनपुर–चकराता मार्ग पर जारी किये गये अस्थाई सवारी गाड़ी परमिटों की संख्या।	**42**
4	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87 के अन्तर्गत रामनगर–श्री बद्रीनाथ मार्ग पर जारी किये गये अस्थाई सवारी गाड़ी परमिटों की संख्या।	**10**
5	उत्तराखण्ड परिवहन निगम को अन्तर्राज्जीय मार्गों पर जारी अस्थाई परमिटों की संख्या।	**46**
6	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार धारा–87 के अन्तर्गत जारी	**01**

	किये गये समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई टैक्सी कैब परमिटों की संख्या।	
7	सहारनपुर–विकासनगर मार्ग पर उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा जारी स्थायी परमिटों को अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर।	**256**
8	मुरादाबाद–रामनगर मार्ग पर उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा जारी स्थायी परमिटों को अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर।	**147**
9	नगीना–काशीपुर मार्ग पर उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा जारी स्थायी परमिटों को अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर।	**69**
10	गागलहेड़ी–रूड़की मार्ग पर उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा जारी स्थायी परमिटों को अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर।	**23**
11	अन्तर्राज्यीय मार्गों पर हरियाणा राज्य परिवहन निगम की बसों के चार माह की अवधि हेतु जारी किये गये सवारी गाड़ी परमिटों के अस्थाई प्रतिहस्ताक्षर संख्या।	**245**

(ब)– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए गये समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका बसों के स्वीकृत एवं उक्त श्रेणी के नवीनकृत किये गये परमिटों की संख्याः–

क्र0 सं0	**परमिटों का प्रकार**	**परमिटों की संख्या**
1	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब जारी स्थाई परमिट।	**2455**
2	समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब जारी स्थाई परमिट।	**862**
3	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस के जारी स्थाई परमिट।	**187**
4	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब के अधिकार पत्रों का नवीनीकरण।	**5092**
5	समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब के अधिकार पत्रों का नवीनीकरण।	**2191**
6	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस के अधिकार पत्रों का नवीनीकरण।	**413**
7	समस्त भारतवर्ष के नवीनीकृत किये गये मोटर कैब परमिटों की संख्या।	**914**
8	समस्त भारतवर्ष के नवीनीकृत किये गये मैक्सी कैब परमिटों की संख्या।	**437**
9	समस्त भारतवर्ष के नवीनीकृत किये गये ठेका बस परमिटों की संख्या।	**121**
10	समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब के जारी स्थाई परमिट।	**1660**

11	समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब के जारी स्थाई परमिट।	**2191**
12	समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस के जारी स्थाई परमिटों की संख्या।	**170**
13	समस्त उत्तराखण्ड के नवीनीकृत किये गये मोटर कैब परमिटों की संख्या।	**173**
14	समस्त उत्तराखण्ड के नवीनीकृत किये गये मैक्सी कैब परमिटों की संख्या	**722**
15	समस्त उत्तराखण्ड के नवीनीकृत किये गये ठेका बस परमिटों की संख्या।	**29**
16	निजी सेवायानों के जारी किये गये परमिटों की संख्या।	**03**
17	निजी सेवायानों के नवीनीकृत किये गये परमिटों की संख्या।	**02**
18	उत्तराखण्ड परिवहन निगम के नवीनीकृत किये गये स्टेज कैरिज परमिटों की संख्या	**18**

(स)– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88(6) में दिये गये प्राविधानानुसार राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी स्थायी सवारी/जनभार वाहन परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के संस्तुति पत्रों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में संचालन हेतु प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत प्रतिहस्ताक्षर किये गये परमिटों पर पारित आदेशों का अनुमोदन।

क्र0सं0	**परमिटों का प्रकार**	**परमिटों की संख्या**
1	समस्त उत्तर प्रदेश के जनभार वाहनों के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिटों की संख्या।	**1749**
2	उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निजी सेवायानों के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिटों की संख्या।	**08**
3	पंजाब राज्य के जनभार वाहनों के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिटों की संख्या।	**20**
4	पंजाब राज्य के स्टैज कैरिज के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिटों की संख्या।	**22**
5	हिमाचल प्रदेश के जनभार वाहनों के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिटों की संख्या।	**11**
6	हिमाचल प्रदेश के स्टैज कैरिज के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिटों की संख्या।	**09**
7	राजस्थान राज्य के स्टेज कैरिज के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिटों की संख्या।	**05**

(द)– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–04–2016** से **30–11–2017** तक की अवधि में समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर/मैक्सी कैब/ठेका बस परमिटों को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त **3553** एवं प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में प्राप्त **77** प्रार्थना पत्रों में पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–03

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–82(1) व (2) में दिए गए प्राविधान अनुसार हस्तान्तरण के मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 01–04–2016 से 30–11–2017 तक मोटर कैब/मैक्सी कैब/ठेका बस के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पारित आदेशों का अनुमोदन।

(1) समस्त भारतवर्ष के स्थायी मोटर कैब परमिट संख्या–1650, 6288, 6753, 6933, 7380, 7415, 7540, 7545, 7770, 7806, 7822, 7863, 7895, 7966, 8033, 8067, 8077, 8100, 8168, 8190, 8273, 8292, 8310, 8556, 8825, 8912, 8933, 8985, 9031, 9081, 9109, 9111, 9145, 9157, 9158, 9215, 9230, 9281, 9308, 9332, 9371, 9377, 9388, 9468, 9516, 9675, 9679, 9684, 9732, 9743, 9748, 9829, 9851, 9858, 9871, 9882, 9891, 9898, 9934, 9935, 9937, 9977, 10001, 10029, 10091, 10106, 10146, 10237, 10258, 10310, 10317, 10427, 10442, 10454, 10530, 10608, 10636, 10661, 10678, 10683, 10757, 10758, 10770, 10779, 10797, 10807, 10849, 10859, 10898, 10904, 10922, 10957, 10982, 11043, 11057, 11069, 11117, 11122, 11134, 11144, 11146, 11158, 11161, 11177, 11180, 11181, 11188, 11191, 11206, 11214, 11229, 11231, 11232, 11267, 11290, 11315, 11359, 11363, 11380, 11477, 11482, 11495, 11503, 11514, 11526, 11532, 11562, 11590, 11594, 11599, 11600, 11607, 11618, 11629, 11657, 11671, 11682, 11688, 11691, 11699, 11707, 11708, 11718, 11749, 11768, 11769, 11789, 11850, 11862, 11882, 11907, 11971, 11974, 12045, 12057, 12069, 12087, 12124, 12156, 12162, 12220, 12229, 12243, 12245, 12255, 12271, 12289, 12304, 12309, 12322, 12333, 12397, 12418, 12428, 12436, 12438, 12487, 12532, 12536, 12652, 12655, 12667, 12668, 12686, 12697, 12702, 12703, 12734, 12738, 12748, 12757, 12759, 12796, 12798, 12826, 12834, 12864, 12900, 12907, 12924, 12957, 12979, 13160, 13174, 13207, 13225, 13226, 13241, 13272, 13291, 13295, 13304, 13329, 13333, 13369, 13406, 13430, 13489, 13503, 13582, 13597, 13599, 13674, 13723, 13738, 13750, 13760, 13785,

13803, 13812, 13821, 13832, 13834, 13835, 13843, 13865, 13872, 13876, 13884, 13913, 13920, 13954, 14035, 14062, 14105, 14112, 14121, 14122, 14143, 14166, 14170, 14180, 14190, 14295, 14305, 14331, 14366, 14367, 14422, 14428, 14459, 14511, 14543, 14557, 14581, 14592, 14618, 14651, 14653, 14667, 14678, 14722, 14801, 14810, 14811, 14820, 14829, 14832, 14855, 14880, 14881, 14924, 14951, 14954, 14956, 14970, 14996, 15026, 15036, 15051, 15112, 15128, 15135, 15156, 15194, 15250, 15258, 15262, 15275, 15290, 15294, 15298, 15321, 15333, 15421, 15424, 15477, 15519, 15523, 15559, 15614, 15648, 15670, 156735, 15797, 15853, 15879, 15919, 15929, 15938, 15983, 15985, 16018, 16033, 16044, 16045, 16168, 16226, 16271, 16296, 16348, 16351, 16381, 16390, 16399, 16443, 16447, 16496, 16500, 16514, 16540, 16550, 16586, 16593, 16643, 16648, 16674, 16744, 16768, 16892, 16962, 16966, 17006, 17050, 17078, 17085, 17141, 17211, 17262, 17267, 17416, 17430, 17434, 17448, 17466, 17621, 17689, 17702, 17711, 17739, 17799, 17879, 17912, 17935, 17970, 18078, 18083, 18088, 18212, 18256, 18361, 18391, 18423, 18447, 18582, 18605, 18627, 18759, 19167, 19266, 19275, 19374, 19351, 20050, 20085, 20195, 20891, 21134, 21336, **मैक्सी कैब परमिट संख्या**–7325, 8334, 8937, 8976, 9162, 9233, 9397, 9580, 9650, 9676, 10021, 10127, 10226, 10580,10657, 11448, 11790, 11834, 11987, 12093, 12184, 12198, 12228, 12278, 12370, 12385, 12889, 12929, 12951, 12978, 13026, 13033, 13314, 13318, 13368, 13423, 13433, 13470, 13534, 13542, 13573, 13643, 13714, 13727, 13739, 13745, 13854, 13869, 13905, 13909, 13964, 14025, 14030, 14085, 14117, 14147, 14177, 14196, 14231, 14254, 14283, 14316, 14346, 14357, 14388, 14701, 14713, 14721, 14794, 14823, 14883, 14895, 14916, 14963, 15004, 15091, 15117, 15139, 15306, 15332, 15357, 15494, 15567, 15606, 15741, 15763, 15770, 15835, 15887, 15901, 15936, 15957, 16030, 16031, 16069, 16076, 16129, 16142, 16165, 16301, 16574, 16634, 16664, 16682, 16683, 16848, 17151, 17584, 19512, 20926 **ठेका बस परमिट संख्या**–308,

442, 447, 452, 464, 465, 477, 492, 550, 596, 601, 636, 667, 671, 692, 771 **समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिट संख्या–**1740, 2903, 3036, 3103, 3110, 3247, 3616, 3955, 4205, 4415, 4684, 5315, 5342, 5345, 6325, **मैक्सी कैब परमिट संख्या–**4580, 4750, 4952, 5467, 5508, 5687, 5760, 5799, 5847, 6054, 6459, 6656, 7019, 7180, 7376, 7400, 7547, 7612, 7996, 8159, 8738, 8814, 8854, 8991, 9072, 9096, 9471, 9610, 9851, 9943, 9954, 10074, 10093, 10447, 10572, 10759, 10767, 11077, 11326, 11419, 11426, 11979, 12000, 12073, 12403, 12713, 12882, 13135, 13156, 13280, 14138, 14149 **ठेका बस परमिट संख्या**–423, 580 एवं मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा 82(2) के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब परमिट संख्या–17309 के हस्तान्तरण के मामलों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत पारित आदेशों का अनुमोदन।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–74, 78, 94, 98, 101, 251, 275 एवं देहरादून–विकासनगर– कुल्हाल मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–276 के हस्तान्तरण के मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–04

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–68, 74, 76, 90, 104, 116, 142, 143, 230, देहरादून–विकासनगर–कुल्हाल मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–362 एवं रामनगर–श्री बद्रीनाथ मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–19, 22, 23, 27, 64, 65, 66, 67, 69, 342, 344, 352, 355, 359 के नवीनीकरण के मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–05

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88(6) में दिए गए प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार को लागू करने के सम्बन्ध में शासन की अधिसूचना संख्या–81/2017/526/ix/2003 दिनांक 10–04–2017 का अवलोकन कर विचार व आदेश पारित करना।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड राज्य एवं हिमाचल राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार पर सहमति बनी थी। उक्त सहमति के आधार पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में 28 मार्गों पर 87 सिंगल ट्रिप्स एव 8662 कि0मी0 एवं हिमाचल प्रदेश द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 60 मार्गों पर 113 सिंगल ट्रिप्स एवं 8392 कि0मी0 संचालन किया जा रहा था।

उक्त पारस्परिक परिवहन करार के पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य एवं हिमाचल राज्य के बीच यात्रियों एवं माल के लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय परिवहन को प्रोत्साहित करने एवं उसके प्रचलन को विनियमित, समन्वित व नियंत्रित करने की दृष्टि से पुनः दोनों राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार किए जाने पर दिनांक 08–02–2016 को सैद्धान्तिक सहमति हुई थी। अधिनियम की धारा 88 की उपधारा 5 में दिए गए प्राविधानानुसार दिनांक 09–08–2016 को गजट/समाचार पत्र में प्रस्तावित करार को प्रकाशित करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् मोटरयान अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (6) में दिए गए प्राविधानानुसार दोनों राज्यों के मध्य हुए करार को क्रियान्वित करने हेतु शासन द्वारा अधिसूचना संख्या–81/2017/526/ix/2003 दिनांक 10–04–2017 जारी की गई थी। उक्त करार को दिनांक 15–04–2017 से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त करार में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में 35 मार्गों पर 62 रिटर्न ट्रिप्स 8822 कि0मी0 एवं हिमाचल प्रदेश द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 47 मार्गों पर 50 रिटर्न ट्रिप्स 8978 कि0मी संचालन पर सहमति हुई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–06

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में साफ–सफाई एवं स्वच्छता को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवसायिक वाहनों के परमिटों में डस्टबिन व डस्टबैग की शर्त अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–852/85/ix–1/2017 दिनांक 27–11–2017 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 02–10–214 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूवात की गई थी तथा देश के सभी राज्यों में स्वच्छता एवं साफ सफाई को बढ़ावा दिए जाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन चलाये जाने के निर्देश दिये गये थे। मा0 प्रधानमंत्री जी के उक्त निर्देशों के क्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा सड़कों पर साफ सफाई एवं स्वच्छता के क्रियान्वयन हेतु दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य मोटरयानों में डस्टबिन/डस्टबैग लागू करने के निर्देश दिए गए थे। शासन ने पत्र संख्या–852/85/ix–1/2017 दिनांक 27–11–2017 द्वारा उक्त आदेशों का कड़ाई अनुपालन करने की अपेक्षा की गई है।

उल्लेखनीय है कि व्यवसायिक वाहनों के परमिटों में अतिरिक्त शर्त अधिरोपित करने के सम्बन्ध में मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–72 की उपधारा–2 (xxii) , धारा–74 की उपधारा–2(ix), धारा–76 की उपधारा–3 (iii) एवं धारा–79 की उपधारा–2(vii) में निम्न प्राविधान किया गया है :–

'' प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात्:–

(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा:

(ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्त लगा सकेगा: ''

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–07

(1)– रिट याचिका संख्या–2496/एम0एस0/2016 मैसर्स जी0एम0ओ0यू0 लि0 बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30–09–2016 का अवलोकन कर विचार व आदेश पारित करना।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी के अन्तर्गत मार्ग सूची संख्या–1 तथा 7 के परमिटों में ऋषिकेश–नरेन्द्रनगर–हनुमानचट्टी, धरासू–उत्तरकाशी–गंगोत्री–टिहरी–मलेथा, टिहरी–घनसाली–तिलवाड़ा मार्गों का पृष्ठांकन केवल यात्रा अवधि के लिए स्वीकृत है। जनरल मैनेजर, जी0एम0ओ0यू0लि0, कोटद्वार द्वारा इन परमिटों से इस शर्त को हटाकर वर्ष भर नियमित बस सेवा संचालन के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिसे सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी की बैठक दिनांक 28–06–2008 के मद/संकल्प संख्या–19 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

'' बदलते हुये परिवेश बढती हुयी जनसंख्या राज्य के विकास के कारण अधिकांश व्यक्ति एक सम्भाग के एक शहर से व एक जिला मुख्यालय से दूसरे सम्भाग के शहर व जिला मुख्यालय के लिए सीधी बस सेवा की मांग को देखते हुये एवं टिहरी में बांध बन जाने के कारण पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुये मार्ग सूची संख्या–1 तथा 7 के अन्तर्गत संचालित होने वाली वाहनों के अनुमति पत्रों पर लगी शर्त (केवल यात्रा अवधि तक तीर्थ यात्री को ले जाने) को विरत करते हुये व्यापक जनहित में वर्ष भर ऋषिकेश–नरेन्द्रनगर–हनुमानचट्टी, धरासू–उत्तरकाशी–गंगोत्री–टिहरी– मलेथा, टिहरी–घनसाली–तिलवाड़ा तक संचालन की स्वीकृति के साथ–साथ मैसर्स जी0एम0ओ0यू0लि0 द्वारा प्रस्तुत निम्न समय सारणी भी अनुमोदित की गयी :–

1– कोटद्वार–श्रीनगर–टिहरी।
2– रामनगर–पौड़ी–टिहरी–उत्तरकाशी।
3– ग्वालदम–कर्णप्रयाग–श्रीनगर–उत्तरकाशी।
4– जोशीमठ–श्रीनगर–मलेथा–टिहरी–उत्तरकाशी।
5– कोटद्वार–कलालघाटी–लालढांग–हरिद्वार–ऋषिकेश (वाया चीला–कुनाव)– टिहरी– उत्तरकाशी।

6– रिखणीखाल–गाडियुंपुल–स्थपडाव–सेन्धीखाल–दुगड्डा–कोटद्वार–लालढांग–चण्डीघाट–ऋषिकेश–टिहरी–उत्तरकाशी (वाया चीला–कुनाव)।

7– रामनगर–कालागढ–कोटद्वार–लालढांग–हरिद्वार–ऋषिकेश–टिहरी (वाया चीला–कुनाव)। ''

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी के उक्त निर्णय के विरूद्ध मा0 अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष निगरानी संख्या–9/2011 टी0जी0एम0ओ0 बनाम सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी, 10/2011 यातायात पंचायत विकास बनाम सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी एवं 11/2011, श्री कुंवर सिंह बनाम सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी दायर की गई, जिसमें मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 09–03–2012 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है :–

X X X

That all the three revisions namly Revision No. 9 of 2011, T.G.M.C. Vs R.T.A. Pauri Garhwal, Revision No. 10 of 2011, Yatayat Praytan Vikas Vs. R.T.A. Pauri Garhwal and Revision No. 11 of 2011, Shri Kunwar Singh Vs. R.T.A. Pauri Garhwal are hereby allowed. Order dated 26-06-2008 passed by RTA, Pauri on its item no. 19 of the meeting dated 26-06-2008 is hereby quashed. ***The STA is directed to decide the issue of extension of permits within 45 days of receiving the certified copy of this judgment as mentioned in the body of this judgment.***

A copy of this judgment may also be provided to the chairman, STA for information and compliance on long term and short term strategies suggested in the body of this judgment.

No order has to cost. Consign the record.

X X X

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन करने हेतु प्रकरण को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25–05–2012 में विचार हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मद/संकल्प संख्या–21 के अन्तर्गत निम्नवत् आदेश पारित किये गयेः–

'' मा0 अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निगरानी संख्या–9/2011 टी0जी0एम0ओ0 बनाम सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी, 10/2011 यातायात पंचायत विकास बनाम सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी एवं 11/2011,

श्री कुंवर सिंह बनाम सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा पक्षों को उपस्थित होने हेतु पुकारा गया, पुकारने पर टी0जी0एम0ओ0यू0लि0 की ओर उनके प्रतिनिधि एवं जी0एम0ओ0यू0लि0 की ओर से श्री जे0पी0 कंसल, एडवोकेट उपस्थित हुये। टी0जी0एम0ओ0यू0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी द्वारा 200 कि0मी0 की दूरी तक मार्गों का विस्तार किया गया है। इन मार्गों का अधिकांश भाग सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। इनके द्वारा प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में इन परमिट धारकों को केवल छः माह तक यात्रा अवधि में अनुमति दी गयी थी। इस प्रकार वर्ष भर अनुमति दिये जाने से मार्गों पर लोड़ फैक्टर बढ जाने से मार्ग अलाभकारी हो जायेगा। इसका विरोध करते हुये जी0एम0ओ0यू0लि0 के अधिवक्ता श्री जे0पी0 कंसल द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी द्वारा जन सामान्य की आवश्यकता के दृष्टिगत आवेदकों के परमिटों का विस्तार किया गया है। जो कि उचित है। मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त मार्ग विस्तार को अल्ट्रावाईरस घोषित किया गया है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी के आदेश को निरस्त किया गया है। इनके द्वारा उपरोक्त मार्ग विस्तार करने का अधिकार राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड का होना बताया गया है। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं सम्भाग में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन किया गया है। दोनों प्राधिकरण अर्द्धन्यायिक कल्प (Quasi Judicial Body) हैं और दोनों प्राधिकरणों का अधिकार क्षेत्र पृथक–पृथक है। प्रश्नगत प्रकरण में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर परमिटों का विस्तार किया गया है। जो कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–80(3) के विपरीत है। प्रश्नगत मार्गों का अधिकांश भाग सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है।

अतः मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के क्रम में प्रश्नगत मार्ग पर परमिट विस्तार करने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त आवेदनकर्ताओं को परमिट विस्तार करने हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के समक्ष

प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है। राज्य परिवहन प्राधिकरण, देहरादून मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68(4) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को प्रश्नगत मार्गों पर मार्ग विस्तार के सम्बन्ध में जन आवश्यकता को देखते हुये विचार करने हेतु निर्देशित करती है। ''

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन करने हेतु सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को पत्र संख्या–2599/एसटीए/10–82/2012–13 दिनांक 24–07–2012 के माध्यम से मा0 प्राधिकरण के निर्णय का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है। किन्तु प्रकरण पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, इसकी सूचना इस कार्यालय में प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त के पश्चात श्री विजयपाल सिंह नेगी, जनरल मैनेजर, मैसर्स गढवाल मोटर आनर्स यूनियन लि0, कोटद्वार द्वारा दिनांक 15–07–2016 को प्रत्यावेदन दिया गया, जिसमें निम्नवत् निवेदन किया गया है:–

(1) We have requested to RTO office Dehradun vide this office quoated at para 1 above, to allow us personal hearing on the above subject to explain much more facts and compelling need for the extension of the permits throughout the year not for a period of yatra season. But intimation in this regards has not been received by this office so far, summary of the case is as under:-

- (a) On 26.06.2008 the Regional Transport Authority, Pauri Garhwal granted permission after considering the population of Uttarakhand, Development Programmes carried on the newly created State of Uttarakhand for providing the transport facilities from one district headquarters to another within and outside the region for the benefits of tourists visiting on account of construction of Tehri Dam and to provide cheap, comfortable and affordable facilities to the people of the region had extended the period of service for the entire year on Rishikesh-Narendra Nagar-Tehri-Dharasu-Hanuman Chatti, Dharasu-Gangotri, Tehri Maletha and Tehri-Ghansali-Tilwara routes.
- (b) Against the above orders of the regional transport authority, Pauri Garhwal (1) Shri kunwar singh (2) TGMOC; and (3) Yatayat Paryatan Vikash had filed in the court of state transport appellate tribunal Uttarakhand, Dehradun revision no. 9 of 2011. no 10 of 2011 and no 11 of 2011 respectively.
- (c) The tribunal vide judgment dated 09.03.2012 had allowed above three revisions and quashed the above order dated 28.06.2008 of the RTA, Pauri Garhwal made in its item no. 19.
- (d) Due to Govt. of State of Uttarakhand has not adopted any transport policy so that the tribunal can suggest some remedial mechanism to minimize the sufferings of the people. All the factors affecting the

developments of the state can be considered by STA while adopting any policy but the STA should not decide the matter as per order dated 09.03.2012 of STAT and refer to RTA Dehradun but regional transport authority, Dehradun has not taken any decision in this regards.

(2) You are once again requested to consider our request for extension of permits of the members of this company for plying their motor vehicles of set-1 Garhwal region throughout the year and also issue the necessary date of hearing of the subject matter as per order of STAT dt 09.03.2012.

उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण के पूर्व ही आवेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या–2496/एमएस/2016 मैसर्स जी0एम0ओ0यू0 लि0 बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य दायर की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 30–09–2016 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैंः–

.....In view of above submission of the learned counsel for the parties, the writ petition is disposed of with a direction to the respondents to take a final decision on the representation dated 15-07-2016 filed by the petitioner within a period of four weeks from the date of receipt of certified copy of this judgement.

मैसर्स गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 15–07–2016 के विरूद्ध टी0जी0एम0ओ0 एवं यातायात एवं पर्यटन विकास सहकारी संघ ने अपने पत्र दिनांक 24–10–2016 के अन्तर्गत निम्नवत् आपत्ति प्रस्तुत की गई हैः–

(1) यह कि मैसर्स गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 15–07–2016 निराधार है, विधि एवं नियमों के प्रतिकूल है, अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि प्रत्यावेदन दिनांक 15–07–2016 में मांगे गये अनुतोष से सम्बन्धित विषय राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा विस्तृत विश्लेषण के उपरान्त दिनांक 09–03–2012 को निरस्त किया जा चुका है तथा परमिटों के विस्तारीकरण के प्रश्न को तय करने हेतु श्रीमान राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है।

(3) यह कि प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा परमिट के विस्तारीकरण हेतु आवेदन किया गया है, जो कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्राविधानों के विरूद्ध है तथा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(4) यह कि प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा एक सम्भाग के क्षेत्र से दूसरे सम्भाग के ऐसे क्षेत्र तक परमिट के विस्तारीकरण करने की प्रार्थना की गयी है, जो कि लगभग 250 किलोमीटर तक विस्तारित है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम

की धारा 80 स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है कि विस्तारीकरण की सीमा एक सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण से दूसरे सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के भीतर अधिकतम 24 किलोमीटर तक है, अर्थात 24 किलामीटर तक परमिट का विस्तारीकरण किया जा सकता है।

(5) यह कि इसके अतिरिक्त विधि अनुसार एक सम्भागीय क्षेत्र से दूसरे सम्भागीय क्षेत्र में वाहन संचालित करने हेतु अस्थाई परमिट जारी किया जा सकता है, जैसा कि पूर्व में भी होता रहा है।

(6) यह कि प्रत्यावेदनकर्ता ने श्रीमान जी से यह तथ्य छिपाया है कि पूर्व में दिनांक 02–07–2009 को प्रत्यावेदनकर्ता तथा टी0जी0एम0ओ0 व यातायात एवं पर्यटन सहकारी संघ के मध्य एक समझौता हुआ था जिसमें प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा सहमति दी गयी थी कि वह भविष्य में टिहरी उत्तरकाशी रूट पर अपनी कम्पनी की सर्विस को संचालित नहीं करेंगें। दूसरी ओर उनके द्वारा यह प्रत्यावेदन श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर पुनः विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी गयी है। इस प्रकार प्रत्यावेदनकर्ता उस विषय पर जिस पर कि पूर्व में सहमति बन चुकी थी, पुनः विवाद उठाकर श्रीमान जी के बहुमूल्य समय की भी हानि कर रही है।

(7) यह कि इस प्रकार प्रत्यावेदन में की गयी प्रार्थना किसी भी दशा में स्वीकार होने योग्य नहीं है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से विधि के प्राविधानों के विपरीत है।

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 30–09–2016 का अनुपालन करने हेतु प्रकरण को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21–11–2016 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्राधिकरण द्वारा निम्नवत आदेश पारित किए गए–

'' प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता मैसर्स जी0एम0ओ0यू0लि0, कोटद्वार एवं आपत्तिकर्ता मैसर्स टी0जी0एम0ओ0यू0 लि0 एवं यातायात पर्यटन विकास सहकारी संघ, ऋषिकेश के प्रतिनिधियों को विस्तार से सुना गया। उनके द्वारा किये गये कथन पर गम्भीरता से विचार किया गया विचारोंपरान्त याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 15–07–2016 का निस्तारण करते हुए निर्णय लिया गया कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–69 की उपधारा (1) में दिये गये प्राविधानानुसार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून, पौड़ी से मैसर्स जी0एम0ओ0यू0 लि0 कोटद्वार के मार्ग सूची संख्या–1 व 7 एवं टी0जी0एम0ओ0यू0 लि0/यातायात पयर्टन विकास सहकारी संघ ऋषिकेश के सेट नं0 1 के परमिटों का देहरादून सम्भाग एवं

पौड़ी सम्भाग में कितना–कितना भाग पडता है, के सम्बन्ध में सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून/पौड़ी से सूचना प्राप्त की जाय। सूचना प्राप्ति के पश्चात मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। ''

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या–217/एसटीए/दस–82/2016 दिनांक 16–01–2017 के द्वारा सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून एवं पौड़ी को कोटद्वार की मार्गसूची संख्या 1 व 7 तथा ऋषिकेश के सेट नं0 1 के परमिटों का देहरादून संभाग एवं पौडी संभाग में पडने वाले मार्ग भाग के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25–01–2017 द्वारा निम्न आख्या प्रेषित की गई :–

''सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, गढवाल सम्भाग, पौडी द्वारा मार्ग सूची 1 व 7 में जारी परमिटों पर कीर्तिनगर से ऋषिकेश तक का भाग देहरादून सम्भाग में आता है। जिसकी कुल दूरी 100 कि0मी0 है।

सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 17–08–2017 द्वारा सेट नं0 1 पर जारी परमिटों पर उल्लिखित मार्गों में पौड़ी सम्भाग के निर्धारित मार्ग एवं उसकी दूरी की सूचना निम्नवत प्रेषित की गई है:–

(1)	ऋषिकेश–रूद्रप्रयाग–सोनप्रयाग–गौरीकुण्ड	220 कि0मी0
(2)	रूद्रप्रयाग–जोशीमठ–श्रीबद्रीनाथ	155 कि0मी0
(3)	श्रीनगर से पौडी	32 कि0मी0

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि–

1– मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–80 (3) में निम्न व्यवस्था की गयी है :–

(3) An application to vary the conditions of any permit, other than a temporary permit, by the inclusion of a new route or routes or a new area or by altering the route or routes or area covered by it, or in the case of a stage carriage permit by increasing the number of trips above the specified maximum or by the variation, extension or curtailment of the route or routes or the area specified in the permit shall be treated as an application for the grant of a new permit:

Provided that it shall not be necessary so to treat an application made by the holder of stage carriage permit who provides the only service on any route to increase the frequency of the service so provided without any increase in the number of vehicles:

Provided further that—

(i) in the case of variation, the termini shall not be altered and the distance covered by the variation shall not exceed twenty-four kilometres;

(ii) in the case of extension, the distance covered by extension shall not exceed twenty-four kilometres from the termini,

2– राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 15–11–2007 के मद/संकल्प संख्या–01 के अन्तर्गत अर्न्तसम्भागीय मार्गों पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निम्नवत् आदेश पारित किये गयेः–

'' मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–88 में दिये गये प्राविधानानुसार एक सम्भाग के द्वारा जारी किये गये परमिट दूसरे सम्भाग में संचालन हेतु प्रतिहस्ताक्षर की वाध्यता होने के फलस्वरूप प्रायः प्रदेश के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा केवल अपने सम्भाग के अन्तर्गत अर्न्तसम्भागीय मार्गों पर परमिट जारी करने से पर्यटक एवं स्थानीय यात्रियों को लम्बी दूरी की यातायात सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है और यात्रियों को वाहन बदलकर अपने गन्तब्य स्थान तक पहुॅचने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण हेतु राज्य के पर्यटन स्थलों एवं अपने गन्तब्य स्थान तक सीधी लम्बी दूरी की यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के अर्न्तसम्भागीय मार्गों पर समानता लाने हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया गया और विचारोपरान्त पाया गया कि यदि अर्न्तसम्भागीय मार्गों पर मंजिली गाड़ी परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/जारी किये जायेंगे तो अर्न्तसम्भागीय मार्गों पर संचालित मंजिली गाड़ी वाहन स्वामियों को दोहरे परमिट शुल्क से निजात मिलेगी और वाहनें एक सम्भाग से दूसरे सम्भाग में बिना किसी बाधा के संचालित की जा सकेंगी। ऐसी व्यवस्था किये जाने पर उत्तराखण्ड राज्य में अन्य प्रान्तों से आने वाले पर्यटकों के साथ–साथ स्थानीय जनता को भी लम्बी दूरी की परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा तथा अनधिकृत संचालन/ओवरलोडिंग एवं सम्भावित दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।

अतः विचारोपरान्त अर्न्तसम्भागीय मार्गों पर अनधिकृत संचालन/ओवरलोडिंग से होने वाली सम्भावित दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं यात्रियों/पर्यटकों को सुलभ, सस्ती एवं आरामदेह यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उददेशय से मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–68 की उपधारा–3 (ब) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के अर्न्तसम्भागीय मार्गों पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा ही मंजिली गाड़ी परमिट स्वीकृत/जारी करने का निर्णय लिया जाता है तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि अर्न्तसम्भागीय मार्गों की परमिट सम्बन्धी पत्रावलियां एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित संभाग के संभागीय परिवहन प्राधिकरण से प्राप्त किये जाय। ''

3– उपरोक्त निर्णय के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह बोरा, सदस्य संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा एक प्रत्यावेदन दिनांक 21–12–2007 प्रेषित किया गया, जिसमें उनके द्वारा वाहन स्वामियों को होने वाली कठिनाई का उल्लेख करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15–11–2007 के संकल्प संख्या–1 में पारित उपरोक्त आदेशों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रत्यावेदन को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 18–06–2008 के मद/संकल्प संख्या–07 के अन्तर्गत निम्नवत् आदेश पारित किये गयेः–

''मद संख्या–07 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 की उपधारा 3 (ख) में दिये गये प्राविधानानुसार प्रदेश के अर्न्तसम्भागीय मार्गों पर राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा ही मंजिली गाडी परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में बैठक दिनांक 15–11–2007 के संकल्प संख्या–1 पर पारित आदेशों के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह बोरा, सदस्य संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी के प्रत्यावेदन दिनांक 21–12–2007 को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा मामले पर गम्भीरता से विचार किया गया। चूॅकि वर्तमान प्रकरण प्रत्येक सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण से सम्बन्धित है। अतः राज्य के सभी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को उनकी परिस्थितियों के प्रकाश एवं लोकहित में सुना जाना आवश्यक पाया जाता है। अतः सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में राज्य के सभी

संभागीय परिवहन प्राधिकरणों से आख्या मंगवायी जाय, जिन्हें वर्तमान आवेदन पत्र के साथ राज्य परिवहन प्राधिकरण की अगली बैठक में निर्णय हेतु रखा जाय।''

4– राज्य परिवहन प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय का क्रियान्वयन नहीं हो सका है और वर्तमान में भी संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पूर्व की भॉति अन्तर्सम्भागीय मार्गों पर परमिट जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

5– अर्न्तसंभागीय मार्गों पर मंजिली गाड़ियों को परमिट जारी किये जाने और उनकी विधि मान्यता के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मोटरयान निमयावली, 2011 के नियम 76 के अन्तर्गत निम्नवत् व्यवस्था की गयी हैः–

(1) धारा 88 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, जिसने किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट जारी किया हो (जिसे आगे मूल परिवहन प्राधिकरण कहा गया है) राज्य के भीतर किसी अन्य सम्भाग में परमिट के प्रभाव का विस्तार कर सकता है और उस सम्भाग के सम्बन्ध में परमिट में शर्त लगा सकता है और विभिन्न सम्भागों में परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है, परन्तु यह कि यान जिसका परमिट है, सामान्यतया मूल परिवहन प्राधिकरण के सम्भाग के भीतर और निम्नलिखित उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रखी जाये।

(2) मूल परिवहन प्राधिकरण किसी अन्य सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किसी सामान्य या विशेष संकल्प के अनुसार ऐसा परमिट जारी कर सकता है जिसकी किसी अन्य सम्भाग में विधिमान्यता हो और इस प्रकार जारी किये गये किसी परमिट का अन्य प्राधिकरण के सम्भाग में तत्समान प्रभाव होगा, मानो वह उस अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी की गई हो।

(3) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई मूल परिवहन प्राधिकरण मोटर टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी का परमिट, जिसका प्रभाव किसी अन्य सम्भाग या सम्भागों में होगा, जारी कर सकता है यदि वह परमिट में यह शर्त लगाता है कि यान का प्रयोग केवल मूल परिवहन प्राधिकरण के क्षेत्र के बाहर मूल परिवहन प्राधिकरण के क्षेत्र से प्रारम्भ होकर और क्षेत्र में समाप्त होने वाली किसी यात्रा के लिये संविदा के अधीन किया जायेगा।

(4) इस नियम की किसी बात का प्रभाव किसी परमिट के धारक के परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिये किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी को आवेदन करने के अधिकार पर नहीं पड़ेगा।

(5) प्रतिहस्ताक्षर के लिये फीस ऐसी होगी जैसी नियम 126 के अधीन विनिर्दिष्ट हो।

6– इसके अतिरिक्त पर्वतीय मार्गों पर परमिट की विधि मान्यता के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मोटरयान निमयावली, 2011 के नियम 77 के अन्तर्गत निम्नवत् व्यवस्था की गयी हैः–

धारा 69 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एक पर्वतीय सम्भाग का सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पर्वतीय मार्गों के लिये परमिट जिसके अन्तर्गत अस्थायी परमिट भी है, स्वीकृत कर सकेगा, जो राज्य के भीतर अन्य पर्वतीय सम्भाग के या सम्बन्धित अन्य सम्भागों में से प्रत्येक सम्भाग के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के प्रतिहस्ताक्षर के बिना विधिमान्य होगा, और ऐसे परमिट के जारी किए जाने से सम्बन्धित कार्यवाहियों की प्रतियां यथाशीघ्र भेजेगा।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करे।

(2)– गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी के मार्ग सूची संख्या–6 कर्णप्रयाग केन्द्र के अनुज्ञापत्रों में ऋषिकेश से यमुनोत्री, गंगोत्री एवं ऋषिकेश–डांडी–थानों–भोगपुर मार्गों के पृष्ठांकन के सम्बन्ध में सचिव, रूपकुण्ड पर्यटन विकास समिति, चमोली के प्रत्यावेदन दिनांक 11–07–2016 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, रूपकुण्ड पर्यटन विकास समिति, चमोली द्वारा अपने उक्त पत्र में गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी के मार्ग सूची संख्या–6 कर्णप्रयाग केन्द्र के परमिटों में ऋषिकेश–डांडी–थानों–भोगपुर, ऋषिकेश–कुनाउं–चीला हरिद्वार एवं (चारधाम अवधि के लिए) ऋषिकेश–नरेन्द्रनगर–बड़कोट–यमुनोत्री एवं उत्तरकाशी–गंगोत्री–गडोलिया–मलेथा मार्गों के पृष्ठांकन का अनुरोध किया गया है। सचिव, रूपकुण्ड पर्यटन विकास समिति, चमोली द्वारा अपने उक्त प्रत्यावेदन में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 80 की उपधारा (3) के खण्ड (ii) में मार्ग विस्तार का प्राविधान 24 कि0मी0 किए जाने की व्यवस्था है लेकिन धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड ब के अन्तर्गत दो या अधिक प्राधिकरणों के समान मार्गों के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य पारिवहन प्राधिकरण को होने का उल्लेख किया गया है। जबकि धारा 68 की उपधारा (3) (ख) में निम्न प्राविधान हैः–

" जहॉ कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण नहीं है वहॉ ऐसे प्राधिकरण के कर्तव्यों का पालन करना और यदि वह ठीक समझता है या किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा ऐसी अपेक्षा की जात है तो दो या अधिक प्रदेशों के लिए किसी सामान्य मार्ग की बाबत उन कर्तव्यों का पालन करना "

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी का गठन किया गया है जो वर्तमान में कार्यरत है। पौड़ी सम्भाग के मार्ग सूची संख्या–6 के कर्णप्रयाग केन्द्र के परमिट सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी द्वारा जारी किए जा रहे हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करे।

मद संख्या–08

(दिनांक 10–10–2017 का स्थगित मद)

अपील संख्या–1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–08–2017 एवं मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–2642/एम0एस0/2017, श्री अमित डोभाल बनाम विजय वर्धन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30–10–2017 में पारित आदेशों का अवलोकन कर विचार व आदेश पारित करना।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री भीम सिंह, श्री आशीष कुमार, श्री सुनील कुमार, श्री ओमप्रकाश, श्रीमती मिथलेश रानी, श्री गुरूबक्श सिंह, श्री विजय वर्धन देहरादून द्वारा देहरादून से पौंटा वाया विकासनगर मार्ग पर स्थायी सवारी गाडी हेतु आवेदन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र.सं.	आवेदक का नाम	पता	आवेदन का दिनांक	कोर्ट फीस कमांक
1	श्री भीम सिंह पुत्र स्व0श्री नाथी सिंह,	निवासी नत्थनपुर, नेहरू ग्राम, देहरादून,	25–05–2016	7823
2	श्री आशीष कुमार पुत्र स्व0 श्री चमन लाल,	निवासी 31 बी, आमवाला, गढीकैन्ट, देहरादून,	25–05–2016	7826
3	श्री सुनील कुमार पुत्र स्व0 श्री गुणानन्द,	निवासी 63 जागृति विहार, नत्थनपुर, पो0ओ0 नेहरूग्राम, देहरादून,	25–05–2016	7825

4	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द,	निवासी 73 गांधी रोड़, देहरादून,	25–05–2016	7829
5	श्रीमती मिथलेश रानी पत्नी श्री भूषण कुमार,	निवासी 73 गांधी रोड़, देहरादून,	25–05–2016	7830
6	श्री गुरूबक्श सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह,	निवासी 73 गांधीरोड़, देहरादून,	25–05–2016	7824
7	श्री विजय वर्धन पुत्र स्व0 श्री सत्य प्रसाद,	निवासी 3 नरदेव, शास्त्री मार्ग (कोर्ट रोड), देहरादून	25–05–2016	7828

2– उपरोक्त आवेदकों द्वारा देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर मार्ग हेतु परमिट के लिए आवेदन स्वयंमेव ही किये गये थे, जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 27–05–2016 के मद संख्या 1 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। किन्तु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–1146/एम0एस0/2016 श्री एस0के0श्रीवास्तव बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10–05–2016 के अनुपालन में केवल श्री एस0के0श्रीवास्तव के प्रत्यावेदन पर विचार किया गया और श्री एस0के0श्रीवास्तव के प्रत्यावेदन को निरस्त किया गया था। प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त अपीलकर्ता के आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया गया था।

3– प्राधिकरण के आदेश दिनांक 27–05–2016 के विरूद्ध उपरोक्त अपीलार्थियों द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील संख्या–1/2016 श्री भीम सिंह बनाम सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, अपील संख्या–2/2016 श्री आशीष कुमार बनाम सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, अपील संख्या–3/2016 श्री विजयवर्धन डंडरियाल बनाम सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, अपील संख्या–4/2016 श्री सुनील बनाम सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, अपील संख्या–5/2016 श्री ओम प्रकाश बनाम सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, अपील संख्या–6/2016 मिथिलेस रानी बनाम सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, अपील संख्या–7/2016 श्री गुरूबक्श सिह बनाम सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण दायर की गयी, जिसमें मा0 राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सभी याचिकाओं में निम्नलिखित आदेश पारित किये गयेः–

"Applicant Bhim Singh application dated 26-05-2016, Guru baksh Singh application dated 26-05-2016, Mithilesh Rani's application dated 26-05-2016, Om Prakash Singh application dated 26-05-2016, Sunil Kumar's application dated 26-05-2016, Vijay Vardhan's application dated 26-05-2016 Ashish Kumar application dated 26-05-2016 , be decided within a month of this order; after giving sufficient opportunity of being heard and the decision so taken be also communicated."

4– उपरोक्त आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायाल, नैनीताल के समक्ष याचिका संख्या–2642/एम0एस0/2017 श्री अमित डोभाल बनाम विजय वर्धन व अन्य दायर की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30–10–2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैः–

"By the impugned order under challenge, the state Transport Appellate Tribunal had allowed the appeal of respondent No. 1 and thereby has remitted the matter to State Transport Authority to decide the application for grant of permit to respondent within a period of one month, after giving an opportunity of being heard and the decision taken thereof is to be communicated to respondent No. 1."

5– उल्लेखनीय है कि देहरादून से पौंटा साहिब वाया विकासनगर मार्ग की कुल लम्बाई 50 कि0मी0 है एवं इस मार्ग का कुल्हाल से पौंटा साहिब तक का 01 कि0मी0 भाग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जिस कारण यह मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग है।

अर्न्तराज्यीय मार्गों पर परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा 88 की उपधारा– (1), (5) व (6) में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

"Section 88- Validation of permits for use outside region in which granted- (1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall not be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned;

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State shall be valid in that area without the counter signature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned;

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in that other

State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State;

Provided also that-

(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and

(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State."

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area; shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less than thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which, and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

(6) Every agreement arrived at between the States shall, in so far as it relates to the grant of countersignature of permits, be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in the regional language circulating in the area or route covered by the agreement and the State Transport Authority of the State and the Regional Transport Authority concerned shall give effect to it."

6– मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88(5) एवं (6) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश के मध्य दिनांक 19–10–2011 को पारस्परिक परिवहन करार पर सहमति बनी थी, जो दिनांक 25–10–2011 से लागू है। इसके पश्चात् पुनः उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–81/2017/526/IX/2003 दिनांक 10 अप्रैल, 2017 द्वारा सम्पन्न हुआ, जो कि दिनांक 15–04–2017 से उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है। उपरोक्त दोनों पारस्परिक परिवहन करार में उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के परिवहन निगमों की वाहनों के संचालन पर सहमति हुयी है। इन पारस्परिक परिवहन करारों में निजी संचालकों को संचालन हेतु सहमति नहीं है।

मा0 न्यायालय के उक्त आदेशों को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10–10–2017 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–56 के उप नियम (1) में उल्लिखित बैठक की गणपूर्ति न होने के कारण बैठक स्थगित की गई थी।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–09

व्यवसायिक वाहनों के यात्री किराये एवं मालभाडे की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रदेश की विभिन्न परिवहन यूनियनों, परिवहन व्यवसायियों एवं परिवहन कम्पनियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार व आदेश।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–67 (1) खण्ड–'घ' के अधीन मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी, माल यान के लिए यात्री किराये एवं माल भाड़े की दर नियत करने का अधिकार राज्य सरकार को है। शासन द्वारा उक्त अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार अधिसूचना संख्या–619/ix/166/2005 दिनांक 17–01–2005 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–67(1) के खण्ड 'घ' (1) के अधीन मंजिली, ठेका गाडी तथा माल वाहनों के यात्री किराये एवं माल भाडे की दरों को निर्धारित किये जाने हेतु धारा–68 के अन्तर्गत गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण को नामित किया है। किराया नियत करने से पूर्व विभिन्न संस्थाओं/संगठनों एवं जनसामान्यों, नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत आदि की परिधि के अन्तर्गत प्राप्त सुझावों एवं ईंधन की दरों में हुयी वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये न्यूनतम किराया नियत किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में विभिन्न व्यवसायिक वाहन यूनियनों से प्रश्नगत प्रकरण पर जो प्रत्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुये हैं, उनका विवरण निम्नवत हैंः–

(1)– अध्यक्ष, देहरादून नगर बस सेवा यूनियन ने अपने पत्र दिनांक 20–08–2014 एवं पत्र दिनांक 16–08–2017 के माध्ययम से अवगत कराया है कि वर्ष 2013 एवं 2014/2017 के मध्य डीजल/मोटर पार्ट्स, वाहन के क्रय मूल्य में वृद्धि,

टैक्स, बीमा में वृद्धि होने के आधार पर किराया बढाने का अनुरोध किया गया है, जिसके लिए उनके द्वारा निम्न प्रस्ताव किया गया हैः–

क्र.सं.	कि0मी0 विवरण	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1	1 से 4 कि0मी0	5 रूपये	10 रूपये
2	4 से 7 कि0मी0	8 रूपये	15 रूपये
3	7 से 10 कि0मी0	10 रूपये	20 रूपये
4	10 से 13 कि0मी0	13 रूपये	25 रूपये
5	13 से 16 कि0मी0	17 रूपये	30 रूपये
6	16 से 19 कि0मी0	18 रूपये	35 रूपये
7	19 से अधिक	20 रूपये	40 रूपये

(2)– अध्यक्ष, संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति, ऋषिकेश द्वारा अपने पत्र दिनांक 17–06–2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पर्वतीय मार्गों पर संचालित मंजिली वाहनों पर सामान्य बस का किराया 1.62 रूपये प्रति किलोमीटर प्रति यात्री वसूला जा रहा है। जबकि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा इन्हीं मार्गों पर संचालित निजी परिवहन संस्थाओं की मंजिली बसों का यात्री किराया 0.95 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री निर्धारित किया गया है। इनके द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम के समान यात्री किराया निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

(3)– अध्यक्ष, जी0एम0ओ0यू0लि0 कोटद्वार द्वारा अपने पत्र दिनांक 04–11–2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि डीजल, मोबाईल ऑयल, टायर, मैकेनिक/बीमा बॉड़ी चैसिस, स्टाफ का वेतन में बढोतरी के साथ–साथ वाहन संचालन सम्बन्धी खर्च में काफी वृद्धि होने का उल्लेख करते हुए वर्ष 2013 के सापेक्ष 2016 तक का तुलनात्मक विवरण दिया हैः–

क्र.सं.	वस्तुएं	वर्ष 2013 में दर	वर्ष 2016 में दर	वृद्धि
1	डीजल	56.69	57.98	2.28
2	मोबिल ऑयल	240.00	245.00	2.10
3	टायर 1020	30000.00	34000.00	13.35

4	मैकेनिक(प्रतिदिन खर्च)	500.00	1000.00	100.00
5	बीमा	35000.00	50000.00	42.90
6	चैसिस 1512/42	1376000.00	1850000.00	34.50
7	बॉडी	350000.00	500000.00	43
8	स्टाफ का वेतन	10000.00	15000.00	50.00

उक्त के आधार पर उनके द्वारा किराये में 50 प्रतिशन की वृद्धि का अनुरोध किया गया है।

(4)– अध्यक्ष, टी0जी0एम0ओ0यू0 लि0, ऋषिकेश ने अपने पत्र दिनांक 8–11–2016 द्वारा अवगत कराया है कि डीजल, मोबाईल ऑयल, टायर, मैकेनिक/बीमा बॉड़ी चैसिस, स्टाफ का वेतन में बढोतरी के साथ–साथ वाहन संचालन में 2013 के सापेक्ष 2016 में वृद्धि हो जाने के कारण वर्तमान किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि का अनुरोध किया गया है।

राज्य के विभिन्न परिवहन व्यवसायिओं एवं परिवहन यूनियनों के प्रतिनिधियों से किराया वृद्धि के प्राप्त प्रत्यावेदनों के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी की अध्यक्षता में कार्यालयादेश संख्या–4060/एस.टी.ए./10–1/2016 दिनांक 01–10–2016 द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा अपने पत्र संख्या–1616/सा0प्रशा0/2016–17 दिनांक 17–03–2017 द्वारा निम्न आख्या प्रेषित की गई हैः–

'' समिति द्वारा वाहनों के मूल्य पर व्यय, बीमा पर व्यय व टायरों पर व्यय में वर्ष 2013 से वर्तमान तक हुई वृद्धि के सम्बन्ध में सभी प्रमुख वाहन निर्माताओं से सूचना प्राप्त करने का निर्णय लिया। समिति यह भी निर्णय लेती है कि चूंकि उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी देहरादून है तथा तथ्यों के आधार पर वाहनों की सर्वाधिक बिक्री एवं संचालन देहरादून जनपद में होता है अतः उक्त तथ्यों पर निर्णय देहरादून जनपद से प्राप्त सूचना के आधार पर लिया जा सकता है। इसी कारण अध्यक्ष द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून को अपने पत्रांक 1248/सा0प्रशा0/2017 दिनांक 29–11–2016 द्वारा वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। प्राप्त सूचना दो माह तक भी उपलब्ध न हो पाने के कारण पुनः पत्रांक 1444/सा0प्रशा0/2017 दिनांक 03–02–2017 द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन

अधिकारी, देहरादून से अनुरोध किया गया। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 28–02–2017 द्वारा अवगत कराया गया कि वांछित सूचना केवल वाहन डीलर ओबराय मोटर्स एवं देहरादून प्रीमियर मोटर्स द्वारा ही उपलब्ध करायी गयी। अन्य सूचना प्राप्त होने पर प्रेषित कर दी जायेगी। समिति द्वारा प्रस्ताव में हुए अनावश्यक विलम्ब को देखते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा प्राप्त सूचना को ही आधार मानने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कार्यालय के पत्र संख्या 1135/सा0प्रशा0/2016 दिनांक 25–10–2016 के द्वारा अध्यक्ष, संयुक्त रोटशन समिति,. ऋषिकेश, संचालक, परिवहन महासंघ, देहरादून, अध्यक्ष, टी0सी0आई0, सिड़कुल, हरिद्वार, टैक्सी/मैक्सी, दून गढ़वाल जीप कमाण्डर मालिक कल्याण संचालन समिति, रिस्पना पुल, देहरादून, ऑटो संचालक महासंघ, देहरादून एवं टैम्पो ट्रेवल्स महासंघ, देहरादून से भी इस सम्बन्ध में उनका पक्ष मांगा गया। जिसके क्रम में संयुक्त रोटशन यात्रा व्यवस्था समिति, ऋषिकेश एवं जी0एम0ओ0यू0लि0, कोटद्वार के द्वारा ही वांछित सूचना उपलब्ध करायी गयी। उक्त दोनों संस्थाओं द्वारा वाहनों के संचालन में वृद्धि के आधार पर 50 प्रतिशत तक किराया वृद्धि हेतु मांग की गयी।

ओबराय मोटर्स द्वारा प्रेषित सूचनाएं टाटा मोटर्स से सम्बन्धित वाहनों की बीमा एवं मूल्य पर व्यय से सम्बन्धित है तथा देहरादून प्रीमियर मोटर्स द्वारा महिन्द्रा एवं महिन्द्रा द्वारा निर्मित वाहनों के बीमा एवं मूल्य पर व्यय से सम्बन्धित हैं। प्राप्त सूचनाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि टाटा मोटर्स के वाहनों के मूल्य में वर्ष 2013 से 2016 के मध्य 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा महिन्द्रा एवं महिन्द्रा के वाहनों के मूल्य में वर्ष 2013 से 2016 के मध्य 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार वर्ष 2013 से 2016 तक महिन्द्रा एवं महिन्द्रा एवं टाटा मोटर्स के वाहनों में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रेषित सूचना के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि टाटा मोटर के निर्मित वाहनों के बीमा पर व्यय में वृद्धि 2013 से 2016 तक 15 प्रतिशत रही है। इस प्रकार महेन्द्रा एवं महेन्द्रा के द्वारा निर्मित वाहनों के बीमा पर व्यय 2013 से 2016 के मध्य 17 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस प्रकार वर्ष 2013 से 2016 तक महेन्द्रा एवं महेन्द्रा एवं टाटा मोटर्स के वाहनों के बीमा पर व्यय में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ईंधन में हुई वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2013 से 2016 के मध्य डीजल एवं पेट्रोल में हुई वृद्धि से सम्बन्धित सूचना ज्ञात करने हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाईट से सूचना संग्रहीत की गई है। जिसकी छायाप्रति आख्या के साथ संलग्न की गई है। अन्य किसी माध्यम से समिति को इस सम्बन्ध में प्रमाणित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इंडियन ऑयल कॉरपोशन की वेबसाईट से प्राप्त सूचना के आधार पर दिल्ली में वर्ष 2013 जनवरी से जनवरी 2017 तक डीजल के मूल्य में 23.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार जनवरी 2013 से अगस्त 2015 तक पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि 8.57 प्रतिशत हुई है। अतः ईंधन में औसत वृद्धि 15.79 प्रतिशत रही है। उत्तराखण्ड राज्य में पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जिस कारण यहॉ पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई पेट्रोल व डीजल के मूल्य में हुई वृद्धि को आधार लिया गया है।

जहॉ तक मरम्मत में हुई वृद्धि को सम्मिलित करने का हुई प्रश्न है उल्लेखनीय है कि मरम्मत से सम्बन्धित प्रामाणिक ऑकडे उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त मरम्मत पर आने वाला व्यय विभिन्न वाहन के प्रकारों, विनिर्मिताओं, अधिकृत गैराज के द्वारा लिए जाने वाले व्यय, स्थानीय मैकेनिक द्वारा लिए जाने वाला व्यय तथा मरम्मत में प्रयोग किए जाने वाले कल पुर्जों के प्रकार (कम्पनी निर्मित या स्थानीय निर्मित) के आधार पर परिवर्तनीय होते हैं। जिसका कोई एक प्रामाणिक आधार लिया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति सर्वसम्मति से वाहनों के मूल्य में हुई वृद्धि को ही मरम्मत में हुई वृद्धि के स्वीकार करती है।

उक्त विवेचना के आधार पर निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैः–

क्र0सं0	*वर्ष 2013 से 2016 तक विभिन्न घटकों में हुई वृद्धि*		*अभ्युक्ति*
1	*मूल्य पर व्यय में वृद्धि*	*19%*	
2	*बीमा पर व्यय में वृद्धि*	*16%*	
3	*ईंधन पर व्यय में वृद्धि*	*15.79%*	

4	*मरम्मत पर व्यय में वृद्धि*	*19%*	*वाहन में मूल्य में वृद्धि को ही मरम्मत पर व्यय में वृद्धि माना गया है।*
	सभी घटकों में औसत वृद्धि	*17.44%*	

उक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर समिति किराया व मालभाडे की दरों में सभी प्रकार की वाहनों में 17.44 प्रतिशत की वृद्धि की संस्तुति करती है।"

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 20–08–2013 के संकल्प संख्या–8 के अन्तर्गत मंजिली गाडी/ठेका गाडियों एवं माल यानों के भाडे की दरों में निम्न वृद्धि की गई है, जो वर्तमान में लागू हैः–

मंजिली गाड़ी (स्टेज कैरेज)

एक– नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र के बाहर चलायी जाने वाली मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध में अधिकतम यात्री किराया की दरेंः–

(1)	साधारण सेवा	क– मैदानी मार्ग हेतु	75 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
		ख– पर्वतीय मार्ग हेतु	95 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(2)	रिजर्व पार्टी परमिट	क– मैदानी मार्ग हेतु	85 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
		ख– पर्वतीय मार्ग हेतु	120 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(3)	एक्सप्रेस सेवा	–	उपरोक्त दर का 1.10 गुणा
(4)	सेमीडीलक्स सेवा	–	उपरोक्त दर का 1.25 गुणा
(5)	डीलक्स सेवा	–	उपरोक्त दर का 1.70 गुणा
(6)	वातानुकूलित सेवा	–	उपरोक्त दर का 1.90 गुणा

नगर बस सेवा

क्र.सं.	मार्ग की दूरी	यात्री किराया (प्रति यात्री रू0 में)
1	प्रथम 4 कि.मी. तक	5.00
2	4 से अधिक किन्तु 7 कि.मी. तक	8.00
3	7 से अधिक किन्तु 10 कि.मी. तक	10.00
4	10 से अधिक किन्तु 13 कि.मी. तक	13.00
5	13 से अधिक किन्तु 16 कि.मी. तक	17.00
6	16 से अधिक किन्तु 19 कि.मी. तक	18.00
7	19 कि.मी. से अधिक	20.00

ऑटोरिक्शा		
(1)	किराये की दरें	प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रू0 20.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. हेतु रू0 09.00
(2)	रात्रि किराया	उपरोक्त दर का 25 प्रतिशत अधिक (रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक)

टैम्पो		
(1)	किराये की दरें	रू0 8.00 प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग हेतु

टैक्सी कैब		
(1)	किराये की दरें साधारण सेवा	रू0 11.00 प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए
	वातानुकूलित सेवा	उपरोक्त दर का 50 प्रतिशत अधिक।

मैक्सी कैब		
(1)	किराये की दरें	रू0 17.00 प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए

	मैदानी मार्ग हेतु	
	पर्वतीय मार्ग हेतु	रू0 18.00 प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए

ठेका बस			
क्र. सं.	वाहन का प्रकार	मैदानी मार्गों हेतु (प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए)	पर्वतीय मार्गों हेतु (प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए)
(1)	चालक को छोड़कर 13 से अधिक किन्तु 20 से कम सीट वाली वाहनों के लिए	रू0 19.00	रू0 24.00
(2)	चालक को छोड़कर 20 से अधिक किन्तु 42 से कम सीट वाली वाहनों के लिए	रू0 29.00	रू0 34.00
(3)	चालक को छोड़कर 42 या उससे अधिक सीट वाली वाहनों के लिए	रू0 34.00	रू0 34.00
(4)	डीलक्स सेवा	रू0 41.00	रू0 42.00
(5)	वातानुकूलित सेवा	रू0 48.00	रू0 50.00

माल वाहनों के लिए भाड़े की दरें

एक– अधिकतम भाड़े की दर		
1–	मैदानी मार्ग हेतु	25 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि.मी.
2–	पर्वतीय मार्ग हेतु	38 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि.मी.

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि शासन की अधिसूचना संख्या–2015/ix/ 166/2005 दिनांक 02–05–2005 के द्वारा निगम की वाहनों का यात्री किराया बढ़ाने हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम को अधिकृत किया गया है, जिसके क्रम में निगम द्वारा कार्मिकों के महगाई भत्ते, डीजल के मूल्य में वृद्धि, संचालन व्यय में वृद्धि के कारण निगम पर

अतिरिक्त व्यय–भार बढ़ने के परिणाम स्वरूप अपने वाहनों का किराया निर्धारित किया जाता है। दिनांक 08–10–2017 से उत्तराखण्ड परिवहन निगम में लागू एवं प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013 में निर्धारित किये गये यात्री किराये में अन्तर का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	**उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों का यात्री किराया रूपये प्रतियात्री प्रति कि.मी.**		**प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013 में निर्धारित यात्री किराया रूपये** प्रति कि.मी. प्रति यात्री	**निगम द्वारा लिये जा रहे किराया का अन्तर (प्रतिशत में)**
1	साधारण मैदानी सेवा	1.08	0.75	+ 44
2	साधारण पर्वतीय सेवा	1.72	0.95	+ 81
3	सेमी डीलक्स मैदानी सेवा	1.35	0.94	+ 43.61
4	सेमी डीलक्स पर्वतीय सेवा	1.89	1.18	+ 60.16
5	डीलक्स मैदानी सेवा	1.84	1.27	+ 44.88
6	डीलक्स पर्वतीय सेवा	2.92	1.61	+ 81.36
7	ए0सी0 मैदानी सेवा	1.84	1.42	+ 29.57
8	ए0सी0 पर्वतीय सेवा	2.92	1.80	+ 62.22
9	ए0सी0 जनरथ मैदानी सेवा	1.40	–	–
10	ए0सी0 जनरथ पर्वतीय सेवा	2.06	–	–
11	वाल्बों मैदानी सेवा	3.78	–	–
12	वाल्बों पर्वतीय सेवा	3.44	–	–

अतः प्राधिकरण समिति की आख्या का अवलोकन करते हुये प्रकरण पर विचार व आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–10

(बैठक दिनांक 25–05–2012 का स्थगित मद)

(1)– श्री राजीव चोपड़ा मैनेजर, इन्सिटीट्यूशनल सैल्स, आयशर कम्पनी के प्रत्यावेदन दिनांक 15–11–2011 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री राजीव चोपड़ा मैनेजर, इन्सिटीट्यूशनल सैल्स, आयशर कम्पनी द्वारा आयशर कम्पनी की 169.29 इंच (4300 एम0एम0) की वाहन को उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय मार्गों पर संचालन की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुतकिया गयाथा। उक्त कम्पनी के आवेदन को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 25–05–2012 के मद संख्या–7 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किए गएः–

'' पौड़ी सम्भाग में 166 इन्च व्हीलबेस की वाहनें संचालन हेतु अनुमन्य हैं। उक्त मापदण्डों में संशोधन से पूर्व पौड़ी सम्भाग के प्रत्येक मार्गों के मार्ग सर्वेक्षण हेतु समिति गठित की जाय। समिति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी की अध्यक्षता में गठित करते हुये समिति में आई0आई0पी0, मोहक्कमपुर, देहरादून, सीमा सड़क संगठन, ऋषिकेश के प्रतिनिधि एवं श्री सुधांशु गर्ग, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी सदस्य होंगे। उक्त तकनीकी समिति के गठन का शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। समिति की सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त मामले को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। ''

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के क्रम में शासन ने शासनादेश संख्या–67/ix–1/2013/257/2011 दिनांक 18–01–2013 द्वारा निम्नवत समिति का गठन किया गया था :–

(1)	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी	अध्यक्ष
(2)	आई0आई0पी0, देहरादून के प्रतिनिधि	सदस्य
(3)	सीमा सड़क संगठन, ऋषिकेश के प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	श्री सुधांशु गर्ग, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी	सदस्य

3– शासन द्वारा गठित समिति को कार्यालय के पत्र संख्या–3151/एसटीए/दस–82/2013 दिनांक 13–06–2013 एवं पत्र संख्या–3560/एसटीए/दस–82/2013 दिनांक 22–11–2013 को मैसर्स आयशर कम्पनी द्वारा निर्मित 169.29 इंच

व्हीलबेस की वाहन को पर्वतीय मार्गों पर संचालन हेतु अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी।

4– मैसर्स आयशर कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा वाहन संख्या–डीएल1पीसी–4203, 169.29 इन्च (4300एमएम) व्हीलबेस एवं सीटिंग क्षमता 32+D की वाहन निरीक्षण एवं रोड़ ट्रायल हेतु प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

(1) श्री सुधांशु गर्ग, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (तकनीकी), मुख्यालय।
(2) श्री के0एस0 नेगी, सहायक महाप्रबन्धक (तकनीकी), उत्तराखण्ड परिवहन निगम।
(3) श्री बी0के0 खेवरिया, अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी।
(4) श्री जे0एस0 चौहान, सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0।
(5) सर्वश्री जे0पी0 सिंह, राजीव बलूनी, कृष्णन, राघव सूद, आयशर प्रतिनिधि।

सीमा सड़क संगठन एवं आई0आई0पी0 के कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुए थे।

5– शासन द्वारा गठित समिति के सभी सदस्यों द्वारा वाहन के रोड ट्रायल में प्रतिभाग नहीं किए जाने के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा पुनः राज्य के पर्वतीय मार्गों पर उक्त आयशर कम्पनी द्वारा पूर्व प्रस्तुत वाहन से रोड ट्रायल करने का निर्णय लेते हुये पूर्व में गठित समिति का पुर्ननिर्धारण कर कार्यालय ज्ञाप संख्या–332/एसटीए/दस–5/2016 दिनांक 30–01–2016 के द्वारा निम्न प्रकार से समिति का गठन किया गयाः–

1	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून	अध्यक्ष
2	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के सदस्य जो कि सहायक अभियन्ता के पद से निम्न स्तर का न हो	सदस्य
3	निदेशक, आई0आई0पी0, मोहक्कमपुर, देहरादून द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
4	सहायक महाप्रबन्धक (तकनीकी), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।	सदस्य
5	सीमा सड़क संगठन, ऋषिकेश, देहरादून द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य

6– आयशर कम्पनी के द्वारा पर्वतीय मार्गों पर वाहन के संचालन परीक्षण हेतु वाहन संख्या–जेके02बीएम–8155, मॉडल 2015, सीटिंग क्षमता 38 इन ऑल, व्हीलबेस 4300 एम0एम0 (169.29 इन्च), उपलब्ध करायी गयी थी।

7– उपरोक्त समिति द्वारा उक्त वाहन का निम्नलिखित पर्वतीय मार्गों पर संचालन करते हुये ट्रायल/परीक्षण किया गया एवं निम्नवत् आख्या दी गई हैः–

क्र.सं.	दिनांक	मार्ग का नाम	संचालन की स्थिति
1	30–05–2016	देहरादून–मंसूरी–नैनबाग–धनोल्टी–चम्बा–टिहरी	सफलता पूर्वक
2	31–05–2016	तिलवाड़ा–घंसाली–तिलवारा–रूद्रप्रयाग–उखीमठ–चोपता	सफलता पूर्वक
3	01–06–2016	चोपटा–गोपेश्वर–चमोली–पांडुकेश्वर–कर्णप्रयाग	सफलता पूर्वक
4	02–06–2016	कर्णप्रयाग–ग्वालदम–बागेश्वर–बिरिंग	सफलता पूर्वक
5	03–06–2016	बिरिंग–गंगोलीहाट–कामेश्वर–रानीखेत	सफलता पूर्वक
6	04–06–2016	रानीखेत–भिक्यासैंण–धुमाकोट	सफलता पूर्वक
7	05–06–2016	धुमाकोट–रिखडीखाल–लेन्सडाउन–कोटद्वार	सफलता पूर्वक

'' उक्त बस का भौतिक निरीक्षण एवं रोड ट्रायल करते समय पर्वतीय मार्ग पर पड़ने वाले मोडों पर से गुजरते हुये वाहन की गहनता से परीक्षण किया गया। जिससे वाहन के टर्निंग प्वाइंट पर किसी भी प्रकार की परेशानी नही हुयी। इस व्हीलबेस की वाहन का पूर्व में भी गढवाल मण्डल के प्रमुख मार्गों पर परीक्षण किया जा चुका है। इससे प्रतीत होता है कि राज्य के पर्वतीय मार्गों पर 166 इन्च व्हीलबेस से अधिक व्हीलबेस की बसों का संचालन भी किया जा सकता है। वर्तमान में सड़क एवं मोडो की आधुनिक व्यवस्था के अनुसार सुधार हुआ है।

समिति की आख्या रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिनांक 08–07–2016 में समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन निगम के प्रतिनिधि उपस्थित हुए लेकिन आई0आई0पी0 के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए।

आई0आई0पी0 मोहकमपुर के प्रतिनिधि से अपनी आख्या उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्र दिनांक 13–07–2016, 04–08–2016 एवं दिनांक 08–08–2016 में पत्र प्रेषित करने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में निदेशक आई0आई0पी0 के द्वारा अपनी आख्या निम्नवत प्रेषित की गई है:–

I understand that our representative was part of the committee was constituted by the Transport Commissioner, Dehradun to conduct road trial of bus and the same was organized by your good office during the period 30-05-2016 to 05-06-2016. The other participant in this committee were yourself along with representatives from PWD Dehradun Uttarakhand Transport Corporation, Dehradun as well as representatives from PWD, Ranikhet and Dhumakot, Pauri besides the OMC

I am also given to understand that a single bus bearing registration no JK02BN-8155 was operted on 7 route to study the suitability of this bus for running in Garhwal/Kumon Region. As requsted by you as per your above letter, our observation/view are given below

1. Only one bus bearing registration no JK02BN-8155 was used on the field trial for all 7 routes as decided by the above mentioned Committee, constituted by the Transport Commissioner Dehradun.

2. It is an estabilised practice that field trial such as above comprising of 7 routes is conducted with a fleet of vehicles to include intra vehicle variations, differential Vintages and driver behaviour.

3. Your office should confirm that there field is documentary evidence that the bus bearing registration no JK02BN-8155 was loaded with recommended weight as per OMC specifications and was weighed with a calibrated weighing machine to Establish the laden weight.

4. We do not have information on the route related parameters such as profile gradient, turning radius and related parameters to correlate vehicle performance requirements with respect to such parameters to correlate vehicle performance requirements with respect to such parameters which is critical for road safety.

5. It is an established practice to carry out such field trials in all weather conditions namely, summer, winter and monsoon seasons in order to establish the use of such vehicle.

It would also like to put on record that the committee was formed by the Transport Commissioner Dehradun and the report should originate from your good office wherein we would suggest to include our above views. I would also like to add that the Ministry of Surface Transport to include our above views. I would also like to add that the Ministry of Surface and Highways, Govt of India has constituted a Committee namely, CMVR-TSC which is a Technical Comittee responsible for considering the above technical issues within which the matter related to the heavy duty vehicle is handled by a nodal office, namely Central Insitute of Road Transport (CIRT), Pune.

I would like to advice that once the report is prepared at your end the same may be forwarded to CIRT, Pune for their and recommendations.

उल्लेखनीय है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा देहरादून सम्भाग एवं कुमांउ मण्डल में पूर्व से ही 171 इन्च व्हीलबेस की वाहनों को अनुमन्य किया गया है। उपरोक्तानुसार पौडी सम्भाग के रूद्रप्रयाग, चमोली, पौडी जनपद एवं कुमांउ सम्भाग के बागेश्वर एवं अल्मोड़ा क्षेत्र के मुख्य मार्गों एवं ब्रांच मार्गों पर कमेटी के द्वारा 169.26 इन्च व्हील बेस की वाहन का संचालन सफलतापूर्वक किया गया है।

अतः कमेटी के सदस्यों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पहाडी मार्गों पर वाहन की समग्र चौडाई एवं ओवरहैंग 60 प्रतिशत पूर्ववत रखते हुये व्हीलबेस 166'' के स्थान पर 169.29'' तक की वाहनों का संचालन अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की जाती है। ''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 03–03–2001 के मद/संकल्प संख्या–20 एवं दिनांक 30–07–2010 के मद/संकल्प संख्या–08 के अन्तर्गत पर्वतीय मार्गों पर संचालन हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

मद	पौडी सम्भाग	देहरादून सम्भाग	कुमांऊ सम्भाग
व्हीलबेस	166 इन्च	देहरादून–मंसूरी मार्ग पर 195 इन्च अन्य पर्वतीय मार्गों पर–171 इन्च	टनकपुर–पिथौरागढ–धारचुला मार्ग पर– 195 इन्च भवाली–खैरना–क्वारस–अल्मोडा मार्ग पर– 205 इन्च हल्द्वानी–नैनीताल वाया बल्दियाखान मार्ग पर–218 इन्च शेष पर्वतीय मार्गों पर–166 इन्च
समग्र चौड़ाई	250 से0मी0	250 से0मी0	250 से0मी0
ओवरहैंग	60 प्रतिशत	60 प्रतिशत	60 प्रतिशत

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जनहित याचिका संख्या–31/2012 प्रो0 अजय रावत बनाम भारत संघ व अन्य में विभिन्न तिथियों में आदेश पारित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत हैं –

दिनांक 04–05–2017,

The S.S.P. has also suggested that considering the hill terrain of Nainital and the extreme shortage of parking space, it is absolutely necessary that no heavy transport vehicle or passenger bus, having a capacity of more than 35 passengers, shall be allowed in Nainital. This plan shall come into force from 15 th may, 2017 and in the meanwhile, the instructions have already been sent to the attected and interested persons so that they can make alternate arrangements. It has further been stated by the S.S.P. that two new parking spaces are being explored with the help of the Cantonment Board at Bhowali-Nainital Road to check the inflow of traffic. He further apprises this Court that a joint check-post comprising of Police Department and Road Transport Department will be put at two places at kaladhungi tiraha Nainital and at Kathgodam tiraha Nainital.

दिनांक 08–05–2017

On a request made by the Commissioner Kumaon Devision, the Central Institute of Road Transport, Pune has sent a two-member team to Nainital for preliminary inspection. The team consists of Mr. Umesh Kumar Suryavanshi and Mr. Harish Kumar Yadav, who have to do preliminary inspection and prepare a report to be followed up by a detail survey by another team. They shall be preparing preliminary plan within a week.

2– मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उपरोक्त आदेशों के सम्बन्ध में दिनांक **18–05–2017** को स्पष्टीकरण आदेश (Clearfication order) निर्गत किये गये हैं, जो कि निम्नवत है :–

In the order dated 04-05-2017 read with order dated 08-05-2017, there was total restriction on buses coming to Nainital having a sitting capacity of more than 35 passengers. Since this Court has been informed by the Bar as well as by Mr. Devendra Singh Negi, Regional Inspector, Technical Regional Inspector office that though there is scientific technical relationship between the sitting capacity of a bus and its wheel base, et it possible that there may be slight variation of seats between the two buses having the same wheel base. It is therefore, made clear that the restriction shall be not only on the buses, which are having seating capacity of more than 35 passengers but also on the buses having wheel base of more than 166 inches.

It is made clear that buses having wheel bases of 166 inches or less shall only be allowed to ply as stated in the order dated 08-05-2017

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त जनहित याचिका में पारित आदेशों का अनुपालन करने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–4278/एसटीए/दस–5/2017 दिनांक 24–06–2017 के माध्यम से प्रदेश के सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून, पौड़ी, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा को निर्देशित किया गया है।

अतः प्राधिकरण समिति की आख्या एवं मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उपरोक्त आदेशों का अवलोकन करते हुये प्रकरण पर विचार व आदेश पारित करना चाहें।

(2)– श्री तमलतरू दत्ता चौधरी, सीनियर मैनेजर सैल्स एण्ड मार्केटिंग, आई0एल0सी0वी0 ट्रक्स, टाटा मोटर्स प्रा0 लि0 के प्रत्यावेदन दिनांक 16–11–2017 पर विचार व आदेश।

सीनियर मैनेजर सैल्स एण्ड मार्केटिंग, टाटा मोटर्स द्वारा अपने उक्त प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि टाटा कम्पनी द्वारा निर्मित 178.34 इन्च व्हीलबेस (4530 एम0एम0) की वाहनों को पर्वतीय मार्गों पर संचालन की अनुमति का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ने अपनी बैठक दिनांक 03–03–2001 के मद संख्या–20 एवं बैठक दिनांक 30–07–2010 के मद संख्या–08 में पर्वतीय मार्गों पर संचालित वाहनों हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए गए हैंः–

मद	पौडी सम्भाग	देहरादून सम्भाग	कुमांऊ सम्भाग
व्हीलबेस	166 इन्च	देहरादून–मंसूरी मार्ग पर 195 इन्च अन्य पर्वतीय मार्गों पर–171 इन्च	टनकपुर–पिथौरागढ–धारचुला मार्ग पर– 195 इन्च भवाली–खैरना–क्वारस–अल्मोडा मार्ग पर– 205 इन्च हल्द्वानी–नैनीताल वाया बल्दियाखान मार्ग पर–218 इन्च शेष पर्वतीय मार्गों पर–166 इन्च
समग्र चौड़ाई	250 से0मी0	250 से0मी0	250 से0मी0
ओवरहैंग	60 प्रतिशत	60 प्रतिशत	60 प्रतिशत

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करे।

मद संख्या–11

(1)– श्री अजय रमोला पुत्र श्री सुमेर चन्द रमोला निवासी सी–ब्लॉक, सरस्वती विहार, अजबपुर कलां, देहरादून का प्रत्यावेदन दिनांक 05–04–2017 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री रमोला के नाम समस्त भारतवर्ष का टैक्सी कैब परमिट संख्या–20399/एस.टी.ए./टैक्सी/ए.आई./16 जो दिनांक 19–08–2021 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–
–यूए07टीबी–0969 मॉडल 2016 संचालित है। श्री रमोला द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है कि वर्तमान में वे एक निजी कम्पनी बैंगलुर में कार्यरत होने के कारण अपनी वाहन की देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ समय तक ड्राईवर से गाड़ी चलवाने के कारण मुझे नुकसान होने के कारण मेरे द्वारा गाड़ी के कागज आरटीओ कार्यालय देहरादून में जमा करा दिए गए हैं। गाड़ी के परमिट निरस्त करने एवं गाड़ी निजी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में कार्यालय में सम्पर्क करने पर पता चला कि वाहन का परमिट निरस्त करने से पूर्व 28,000 रूपये टैक्स जमा करो। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उक्त टैक्स जमा करने में असमर्थ हूँ। उनके द्वारा आर्थिक स्थिति एवं गाड़ी का संचालन न कर पाने के कारण परमिट निरस्त करते हुए निजी में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोटर कैब/मैक्सी कैब परमिटों के 05 वर्ष की बाध्यता के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24–08–2012 के मद संख्या–11 में निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैंः–

X X X

''समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब/मैक्सी कैब परमिट पर संचालित वाहन को पांच वर्ष तक निजी में परिवर्तित नहीं किया जायेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि वाहन स्वामी द्वारा शेष अवधि का देय करों को एक मुश्त जमा कर दिया जाता है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निजी में परिवर्तन करने की अनुमति दी जायेगी।''

X X X

उत्तराखण्ड गठन से पूर्व पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भी समस्त भारतवर्ष के मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों पर संचालित वाहनों को परमिट जारी करने की तिथि से 05 वर्ष तक निजी वाहन के रूप में परिर्वतन की अनुमति नही दिये जाने की शर्त अधिरोपित की गयी थी। अतः राज्य गठन के पश्चात् उक्त शर्त को समस्त भारतवर्ष/समस्त उत्तराखण्ड के मोटरकैब/मैक्सी कैब वाहनों के सम्बन्ध में लागू किया गया।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों को ठेका गाड़ी परमिट देने की शक्ति दी गयी है और ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 की उपधारा (2) के खण्ड (ix) में शर्त अधिरोपित करने हेतु निम्नलिखित प्राविधान किया गया है :–

"That the Regional Transport Authority may, after giving notice of not less than one month-
(a) vary the conditions of the permit ;
(b) attach to the permit further conditions;"

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 20,000 टैक्सी/मैक्सी ऑल इण्डिया/ऑल उत्तराखण्ड परमिट पर संचालित है। पूर्व में जब 05 वर्ष तक प्राईवेट में परिवर्तित न होने सम्बन्धी शर्त अधिरोपित की गयी थी, तत्समय यह धारणा/नियम प्रचलित था कि टैक्सी कोटे में वाहन क्रय करने पर वाहन स्वामी को एक्साईज ड्यूटी में छूट प्राप्त होती थी, परन्तु वर्तमान में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा काई योजना लागू नहीं की गई है, जिसमे टैक्सी कोटे के वाहन क्रय करने हेतु कोई छूट हो।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत मोटरयानों पर वाहन के प्रयोग के आधार पर अग्रिम रूप में एकबारीय कर/मासिक कर/त्रैमासिक कर/वार्षिक कर भुगतान की व्यवस्था की गयी है। साथ ही धारा 12 के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा अपनी वाहन का किसी अवधि का अग्रिम कर भुगतान कर दिया गया है और वह वाहन अन्तिम बार कर भुगतान करने के समय से एक मास या उससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं करना चाहता, जिसके लिये कर का भुगतान किया गया है, तो सम्बन्धित वाहन स्वामी अग्रिम भुगतान किये गये कर को वापस (रिफण्ड) ले सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कराधान अधिनियम की धारा 14 में यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि किसी वाहन के सम्बनध मे मोटर वाहन कर का भुगतान कर दिया गया हो, इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि वह यान ऐसा यान हो जाए, जिसके

संबंध में अपेक्षाकृत ऊॅची दर से मोटर वाहन कर देय हो, वहां उसका स्वामी अथवा संचालक मोटर वाहन कर की धनराशि के अन्तर का देनदार होगा।

वर्तमान में अधिरोपित शर्त के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी 05 वर्ष की अवधि से पूर्व अपने वाहन का परमिट निरस्त कराता है तो उससे 05 वर्ष की अवशेष अवधि का मोटरयान कर (धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत देय) जमा कराया जाता है और परमिट निरस्त करने के उपरान्त वाहन को नॉन ट्रांस्पोर्ट वाहन में परिवर्तित करते हुए उससे एकबारीय कर (धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत देय) जमा कराया जाता है। चूॅकि परमिट निरस्तीकरण के उपरान्त सम्बन्धित वाहन का संचालन नॉन ट्रांस्पोर्ट वाहन के रूप में किया जाना है, अतः वह कराधान अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर की वापसी का हकदार हो जाता है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार व आदेश पारित करना चाहें।

(2)– दून ट्रैवल ऑनर्स एसोसिएशन रजि0, 38/1 टैगोर विला, देहरादून के दिनांक रहित प्रत्यावेदन, जो दिनांक 10–10–2016 को कार्यालय में प्राप्त हुआ है, पर विचार व आदेश।

दून ट्रैवल ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा अपने उक्त प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि–

1– टैक्सी/मैक्सी कैब/बस के समस्त भारतवर्ष के परमिट के साथ एक वर्ष हेतु अधिकार पत्र भी जारी किया जाता है, जिसकी वैधता अवधि समाप्त होने पर उसका नवीनीकरण एक माह की अवधि के भीतर कराया जा सकता है। एक माह के पश्चात् नवीनीकरण कराये जाने पर दण्ड का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में ट्रकों के राष्ट्रीय परमिट में दण्ड लिया जाता था, जो वर्तमान में नहीं लिया जाता है। अतः टैक्सी/मैक्सी कैब/बस के समस्त भारतवर्ष हेतु जारी अधिकार पत्र के नवीनीकरण के विलम्ब पर दण्ड के प्राविधान को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जहां एक ओर अधिकार पत्र का नवीनीकरण शुल्क रू0 500.00 है वहीं नवीनीकरण विलम्ब शुल्क प्रतिवर्ष रू0 1000.00 है। जो कि नवीनीकरण शुल्क से अधिक है।

2– व्यवसायिक टैक्सी वाहनों को निजी वाहन में परिवर्तन करने की अवधि पूर्व (उत्तर प्रदेश राज्य के समय) में तीन वर्ष थी, जो प्राधिकरण की बैठक में पांच वर्ष कर दी गयी है। महोदय जो व्यक्ति किन्हीं कारणवश इस अवधि में अपना वाहन निजी में परिवर्तित करना चाहता है तो आप द्वारा वाहन पर अधिरोपित पांच वर्षों का पूरा कर (टैक्स) लिया जाता है। अतः महोदय इस अवधि के प्राविधान को समाप्त करते हुए वाहन स्वामी को टैक्सी/मैक्सी परमिट पर संचालित वाहन को निजी हेतु परमिट निरस्त कराये जाने में उपरोक्त पांच वर्षों की अवधि को समाप्त करने अथवा पांच वर्ष की अवधि को कम करने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– रेन्ट ए टैक्सी/रेन्ट ए मोटर साइकिल के लाईसेंस जो आप के द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति के पश्चात् जारी किये जाते हैं। इन लाईसेंसों को नियमों के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा ही जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ताकि इस व्यवसाय को अपनाने वालों को सुविधा हो तथा पर्यटकों को इसका लाभ मिल सके। जैसे देश के अन्य प्रदेशों यथा गोवा, कर्नाटका, आन्धप्रदेश, महाराष्ट्र आदि में व्यवस्था है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिन परमिट धारकों द्वारा अपने समस्त भारतवर्ष के पर्यटक परमिट के अधिकार पत्र का नवीनीकरण समय से नहीं किया जाता है, ऐसे अनधिकृत रूप से संचालित परमिटों के अधिकार पत्रों पर देय प्रशमन शुल्क अधिरोपित करने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 05–12–2011 के अन्य मद संख्या–19(1) के अन्तर्गत निम्न नीति निर्धारित की गई है :–

क्र0सं0	विलम्ब की अवधि	निर्धारित प्रशमन शुल्क (रूपये में)
1	01 माह तक या उसके भाग के लिए	–
2	01 माह के पश्चात् 01 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	1000.00
3	02 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	2000.00
4	03 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	3000.00
5	04 वर्ष तक या उसके भाग के लिए	4000.00

मोटर कैब एवं मैक्सी कैब वाहनों को ठेका वाहन से नॉन ट्रांस्पोर्ट वाहन में परिवर्तित न करने की शर्त हटाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24–08–2012 के मद/संकल्प संख्या–11 में निम्नवत् आदेश पारित किये गये थेः–

X X X

''समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब/मैक्सी कैब परमिट पर संचालित वाहन को पांच वर्ष तक निजी में परिवर्तित नहीं किया जायेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि वाहन स्वामी द्वारा शेष अवधि का देय करों को एक मुश्त जमा कर दिया जाता है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निजी में परिवर्तन करने की अनुमति दी जायेगी।''

X X X

उत्तराखण्ड गठन से पूर्व पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भी समस्त भारतवर्ष के मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों पर संचालित वाहनों को परमिट जारी करने की तिथि से 05 वर्ष तक निजी वाहन के रूप में परिर्वतन की अनुमति नही दिये जाने की शर्त अधिरोपित की गयी थी। अतः राज्य गठन के पश्चात् उक्त शर्त को समस्त भारतवर्ष/समस्त उत्तराखण्ड के मोटरकैब/मैक्सी कैब वाहनों के सम्बन्ध में लागू किया गया।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों को ठेका गाड़ी परमिट देने की शक्ति दी गयी है और ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 की उपधारा (2) के खण्ड (ix) में शर्त अधिरोपित करने हेतु निम्नलिखित प्राविधान किया गया है :–

"That the Regional Transport Authority may, after giving notice of not less than one month-
(a) vary the conditions of the permit ;
(b) attach to the permit further conditions;"

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 20,000 टैक्सी/मैक्सी ऑल इण्डिया/ऑल उत्तराखण्ड परमिट पर संचालित है। पूर्व में जब 05 वर्ष तक प्राईवेट में परिवर्तित न होने सम्बन्धी शर्त अधिरोपित की गयी थी, तत्समय यह धारणा/नियम

प्रचलित था कि टैक्सी कोटे में वाहन क्रय करने पर वाहन स्वामी को एक्साईज ड्यूटी में छूट प्राप्त होती थी, परन्तु वर्तमान में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा काई योजना लागू नहीं की गई है, जिसमे टैक्सी कोटे के वाहन क्रय करने हेतु कोई छूट हो।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत मोटरयानों पर वाहन के प्रयोग के आधार पर अग्रिम रूप में एकबारीय कर/मासिक कर/त्रैमासिक कर/वार्षिक कर भुगतान की व्यवस्था की गयी है। साथ ही धारा 12 के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा अपनी वाहन का किसी अवधि का अग्रिम कर भुगतान कर दिया गया है और वह वाहन अन्तिम बार कर भुगतान करने के समय से एक मास या उससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं करना चाहता, जिसके लिये कर का भुगतान किया गया है, तो सम्बन्धित वाहन स्वामी अग्रिम भुगतान किये गये कर को वापस (रिफण्ड) ले सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कराधान अधिनियम की धारा 14 में यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि किसी वाहन के सम्बनध मे मोटर वाहन कर का भुगतान कर दिया गया हो, इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि वह यान ऐसा यान हो जाए, जिसके संबंध में अपेक्षाकृत ऊँची दर से मोटर वाहन कर देय हो, वहां उसका स्वामी अथवा संचालक मोटर वाहन कर की धनराशि के अन्तर का देनदार होगा।

वर्तमान में अधिरोपित शर्त के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी 05 वर्ष की अवधि से पूर्व अपने वाहन का परमिट निरस्त कराता है तो उससे 05 वर्ष की अवशेष अवधि का मोटरयान कर (धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत देय) जमा कराया जाता है और परमिट निरस्त करने के उपरान्त वाहन को नॉन ट्रांस्पोर्ट वाहन में परिवर्तित करते हुए उससे एकबारीय कर (धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत देय) जमा कराया जाता है। चूँकि परमिट निरस्तीकरण के उपरान्त सम्बन्धित वाहन का संचालन नॉन ट्रांस्पोर्ट वाहन के रूप में किया जाना है, अतः वह कराधान अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर की वापसी का हकदार हो जाता है।

अतः प्राधिकरण पर विचार व आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–12

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 75 में दिए गए प्राविधानानुसार रेन्ट ए मोटरसाईकिल स्कीम 1997 के अन्तर्गत मोटर साईकिल किराए पर दिए जाने के सम्बन्ध में लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रत्यावदेनों पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोटरसाईकिल किराए पर दिए जाने हेतु 16 प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

(1) **मैसर्स अशोका एण्ड ब्रदर्स, U/C श्री दीपक बेलवाल, निकट महानन्दा कॉम्पलैक्स, लक्ष्मणझूला रोड़, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल** द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों हेतु लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध करते हुए अपने आवेदन के साथ 05 दोपहिया वाहनों के क्रय करने हेतु कोटेशन, उप जिलाधिकारी, पौडी गढवाल द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं 1000 रू0 रसीद संलग्न की गयी है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या–2213/एसटीए/दस–75/2016 दिनांक 06–06–2016 के माध्यम से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश से आवेदन पत्र का परीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1264/सा0प्रशा0/मो0सा0कि0यो0/16 दिनांक 26–12–2016 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– आवेदक का नैतिक चरित्र के क्रम में उपजिलाधिकारी, पौडी द्वारा द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
2– **आवेदक के पास यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था की सुविधा हेतु स्थान** के क्रम में सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) की आख्या संलग्न है। जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक के पास निकट महानन्दा काम्पलैक्स, लक्ष्मणझूला रोड़, टिहरी गढवाल में (24'00"x12'00") फुट की दो दुकाने उपलब्ध हैं, जिसमें एक दुकान कार्यालय एवं स्वागत कक्ष हेतु व एक वाहनों के खडे करने हेतु प्रयोग की जा सकती है। फर्म के पास वाहनों की पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। साथ ही आवेदक द्वारा मैसर्स रणजीत मोटरसाईकिल, 585, लक्ष्मणझूला रोड, ऋषिकेश के साथ यानों मरम्मत, सर्विसिंग व स्वच्छता व्यवस्था हेतु अनुबन्ध पत्र संलग्न किया है।
3– आवेदक के पास कम से कम एक टेलिफोन हों जो दिन रात उपलब्ध हो के क्रम में दूरभाष संख्या–0135–2442260 के बिल की छायाप्रति संलग्न है।

4– वित्तीय साधन के प्रमाण में आवेदक द्वारा आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति संलग्न की है।
5– आवेदक के पास कम से कम 05 मोटरसाईकिल हो, के क्रम में आवेदक द्वारा केवल 05 Honda Activa स्कूटर के कोटेशन मात्र संलग्न किये हैं। आवेदक द्वारा उक्त व्यवसाय किये जाने की अनुज्ञप्ति प्राप्त होने पर वाहनों का क्रय व पंजीकरण किये जाने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) की आख्या संलग्न है।

(2) मैसर्स सेठी आटोमोबाईल, U/C श्री पवन कुमार सेठी, निवासी 643, लक्षमण झूला रोड, ऋषिकेश द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों हेतु लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र के साथ 05 दोपहिया वाहनों के क्रय करने हेतु कोटेशन, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करते हुये आवेदन शुल्क रू0 1000 रसीद संख्या–881070 दिनांक 02–08–2016 द्वारा जमा किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या–4343/एसटीए/दस–75/2016 दिनांक 20–10–2016 के माध्यम से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश से आवेदन पत्र का परीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–307/सा0प्रशा0/मो0सा0कि0यो0/17 दिनांक 04–03–2017 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– आवेदक का नैतिक चरित्र के क्रम में उपजिलाधिकारी, पौडी द्वारा द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
2– आवेदक के पास यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था की सुविधा हेतु स्थान के क्रम में सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) की आख्या संलग्न है। साथ ही आवेदक द्वारा देव ऑटो सर्विस सेंटर, 19 लक्ष्मणझूला रोड, ऋषिकेश के साथ यानों की मरम्मत, सर्विसिंग व स्वच्छता व्यवस्था हेतु अनुबन्ध पत्र संलग्न किया है।
3– आवेदक के पास कम से कम एक टेलिफोन हों जो दिन रात उपलब्ध हो के क्रम में दूरभाष संख्या–0135–2430313 के बिल की छायाप्रति संलग्न है।
4– वित्तीय साधन के प्रमाण में आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड को–ओपरेटिव बैंक लि0 की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति संलग्न की है।
5– आवेदक के पास कम से कम 05 मोटरसाईकिल हो, के क्रम में आवेदक द्वारा केवल 05 Scooter/Motor Cycle (दुपहिया वाहनों) के कोटेशन मात्र संलग्न किये हैं। आवेदक द्वारा उक्त व्यवसाय किये जाने की अनुज्ञप्ति प्राप्त होने पर वाहनों का क्रय व पंजीकरण किये जाने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) की आख्या संलग्न है।

(3) मैसर्स एडवेन्चर राइड, U/C श्री विपिन नौटियाल, निवासी महानन्दा कॉम्पलैक्स, बद्रीनाथ रोड, तपोवन, टिहरी गढ़वाल द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों हेतु लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, किरायानाम आदि के प्रमाण–पत्रों की प्रति संलग्न की गयी है। आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रू0 1000 रसीद संख्या–851981 दिनांक 24–01–2017 द्वारा जमा किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या–411/एसटीए/दस–75/2016 दिनांक 28–01–2017 के माध्यम से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश से आवेदन पत्र का परीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–616/सा0प्रशा0/मो0सा0कि0यो0/17 दिनांक 27–04–2017 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– आवेदक का नैतिक चरित्र के क्रम में उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर, पौडी द्वारा द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।

2– आवेदक के पास यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था की सुविधा हेतु स्थान के क्रम में सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) की आख्या संलग्न की गयी है, जिसमें आवेदक द्वारा मैसर्स मंशा ऑटो सर्विस सेंटर, चन्देश्वर नगर, ऋषिकेश के साथ यानों की मरम्मत, सर्विसिंग व स्वच्छता व्यवस्था हेतु अनुबन्ध पत्र संलग्न किया है। आवेदक के पास कम से कम 15 दुपहिया वाहनों की पार्किंग के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

3– आवेदक के पास कम से कम एक टेलिफोन हों जो दिन रात उपलब्ध **हो** के क्रम में दूरभाष संख्या–0135–2442775 के बिल की छायाप्रति संलग्न है।

4– वित्तीय साधन के प्रमाण में आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी बैंक की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति संलग्न की है।

5– आवेदक के पास कम से कम 05 मोटरसाईकिल हो, के क्रम में आवेदक द्वारा केवल 05 Scooter/Motor Cycle (दुपहिया वाहनों) के कोटेशन मात्र संलग्न किये हैं। आवेदक द्वारा उक्त व्यवसाय किये जाने की अनुज्ञप्ति प्राप्त होने पर वाहनों का क्रय व पंजीकरण किये जाने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) की आख्या संलग्न है।

(4) स्कूबी राईडर्स प्रा0 लि0, U/C श्री महेन्द्र लखानी, 44 रामनगर, रूड़की, हरिद्वार द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों हेतु लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, किरायानामा, टेलीफोन बिल आदि की प्रति संलग्न करते हुये आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रू0 1000 रसीद

संख्या–851230 दिनांक 09–11–2016 द्वारा जमा किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या–4778/एसटीए/दस–75/2016 दिनांक 22–11–2016 के माध्यम से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूड़की से आवेदन पत्र का परीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूड़की द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–360/सा.प्रशा./मो.सा.कि.यो./2016 दिनांक 14–12–2016 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– आवेदक का नैतिक चरित्र के क्रम में उपजिलाधिकारी, रूड़की द्वारा फर्म के निदेशक श्री महेन्द्र लखानी के चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

2– आवेदक के पास यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था की सुविधा हेतु स्थान हेतु कार्यालय शिवमूर्ति 44, रामनगर रूड़की में प्रथम तल में स्थित है, जिसे उक्त फर्म के प्रतिनिधि द्वारा स्वागत कक्ष के रूप में बताया गया, जिसमें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। कार्यालय से 50 मीटर दूरी पर खाली प्लाट दिखाया गया है, जिसमें टीन शेड लगा हुआ पाया गया, जिसे वाहन की पार्किंग व गैराज के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। वाहन की सर्विस विक्रेता कम्पनी के शो–रूम में करायी जायेगी। आथराईजेशन सर्विस सेंटर की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

3– आवेदक के पास कम से कम एक टेलिफोन हों जो दिन रात उपलब्ध हो के क्रम में दूरभाष संख्या–0133–261111 के बिल की छायाप्रति संलग्न है।

4– वित्तीय साधन के प्रमाण में आवेदक द्वारा फर्म के डायरेक्टर श्री महेन्द्र लखानी की विगत एक वर्ष की आई0टी0आर0 फार्म 16 एवं मैसर्स स्कूबी राईडर्स प्राई0लिमि0 के नाम के पासबुक की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

5– आवेदक के पास कम से कम 05 मोटरसाईकिल हो, के क्रम में आवेदक द्वारा मैसर्स होंडा मोटरसाईकिल एण्ड स्कूटर्स इण्डिया प्राई0लिमि0 गुडगांव एवं मैसर्स यूपी ऑटोमोबाईल की एनवायस प्रस्तुत की गयी है। आवेदक द्वारा उक्त व्यवसाय किये जाने की अनुज्ञप्ति प्राप्त होने पर वाहनों का क्रय व पंजीकरण किये जाने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) की आख्या संलग्न है।

(5) मै0 हिमालयन स्वास्तिक बाईकर एण्ड एडवेंचर क्लब U/C श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री परमहंस सिंह, निवासी 163, आवास विकास कॉलोनी, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों हेतु लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, किरायानामा आदि के प्रमाण–पत्रों की प्रति संलग्न करते हुये आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रू0 1000 रसीद संख्या–851821 दिनांक 26–04–2017 द्वारा जमा

किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या–1825/एसटीए/दस–75/2017 दिनांक 27–04–2017 के माध्यम से सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी से आवेदन पत्र का परीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–7109/प्राविधिक/तकनीकी निरीक्षण/2017 दिनांक 15–05–2017 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– **आवेदक का नैतिक चरित्र** के क्रम में प्रभारी, कृते जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है।
2– **आवेदक के पास यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था की सुविधा हेतु स्थान** हेतु निरक्षणोंपरान्त उल्लिखित स्थल जजी कोर्ट के निकट स्थापित पाया गया, जिसमें 01 कार्यालय तथा 40X40 वर्गफीट में एक टिनसेट बनाया गया है, जिसमें वाहनों की मरम्मत एवं पार्किंग की व्यवस्था समुचित है। एक साइड में वॉशरूम स्थापित पाया गया। नक्शा संलग्न है।
3– **आवेदक के पास कम से कम एक टेलिफोन हों जो दिन रात उपलब्ध हो** के क्रम में भारत संचार निगम लि0 द्वारा जारी टेलीफोन नं0 हेतु किये गये आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
4– **वित्तीय साधन के प्रमाण में** आवेदक द्वारा 03 वर्ष की आई0टी0आर0 को फोटोप्रति संलग्न है।
5– **आवेदक के पास कम से कम 05 मोटरसाईकिल हो** के क्रम में आवेदक द्वारा 08 बाईक हेतु आर्डर दिये गये हैं परन्तु वर्तमान में बाईक नहीं खरीदी गयी है। बुकिंग आर्डर संलग्न है।

(6) मैसर्स सुपर बाईक सर्विस, U/C श्री परमवीर सिंह खरौला पुत्र स्व0 श्री राय सिंह खरौला, निवासी सैपलिंग स्टेट, सिविल हॉस्पिटल रोड़, मसूरी, देहरादून द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों हेतु लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, किरायानामा आदि के प्रमाण–पत्रों की प्रति संलग्न करते हुये आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रू0 1000 रसीद संख्या–851520 दिनांक 23–03–2017 द्वारा जमा किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या–1267/एस.टी.ए./दस–75/2016 दिनांक 24–03–2017 के माध्यम से सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून से आवेदन पत्र का परीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2651/प्राविधिक/2017 दिनांक 31–05–2017 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– **आवेदक का नैतिक चरित्र** के क्रम में उपजिलाधिकारी, मंसूरी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है।

2– **आवेदक के पास यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था की सुविधा हेतु स्थान** हेतु प्रस्तावित स्थल माल रोड पर एक होटल में स्थापित है तथा होटल के स्वागत कक्ष को ही उक्त फर्म का रिसेप्शन बताया गया है। श्री परमवीर खरोला के नाम से है, जिसके सम्बन्ध में विक्रय पत्र की छायाप्रति प्रसतुत की गयी है। इसके अतिरिक्त जल संस्थान, बिजली का बिल आदि की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तावित स्थल पर शौचालय, पानी की व्यवस्था एवं वर्कशॉप उपलब्ध है। प्रस्तावित स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था है। वाहन को मॉलरोड से पीछे की ओर लाते हुये छत पर कार वाली पार्किंग में खुले में मोटरसाईकिल खडा करने की व्यवस्था है। उक्त स्थान 22X10 अर्थात कुल 220 वर्ग फुट है, जिसमें लगभग 08 मोटर साईकिल खड़ी हो सकती है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, मंसूरी द्वारा भी परमवीर खरोला जी को वाहनों के माल रोड पर प्रवेश की अनुमति दी गयी है।

3– **आवेदक के पास कम से कम एक टेलिफोन हों जो दिन रात उपलब्ध हो** के क्रम में बीएसएनएल द्वारा दूरभाष संख्या–01352634545 उपलब्ध कराया गया है।

4– **वित्तीय साधन के रूप में** कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए है।

5– **आवेदक के पास कम से कम 05 मोटरसाईकिल हो** के क्रम में आवेदक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसे मोटरसाईकिल किराया योजना के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त होने के पश्चात मोटरसाईकिल खरीद ली जाएगी।

(7) मैसर्स बाईक इन दून, U/C श्री मनप्रीत सिंह पुत्र स्व0 श्री गुरूचरण सिंह, निवासी 88, नैशविल्ला रोड़, देहरादून द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों हेतु लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, किरायानामा आदि के प्रमाण–पत्रों की प्रति संलग्न करते हुये आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रू0 1000 रसीद संख्या–861725 दिनांक 18–04–2017 द्वारा जमा किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या–1670/एसटीए/दस–75/2017 दिनांक 19–04–2017 के माध्यम से सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून से आवेदन पत्र का परीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2925/प्राविधिक/2017 दिनांक 16–06–2017 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– **आवेदक का नैतिक चरित्र** के क्रम में उपजिलाधिकारी, देहरादून द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है।

2– **आवेदक के पास यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था की सुविधा हेतु स्थान** हेतु प्रस्तावित स्थल पर स्वागत कक्ष एवं शौचालय/पानी की व्यवस्था है। प्रस्तावित स्थल श्री मनप्रीत सिंह पर नगर निगम अभिलेखों में दर्ज है। प्रस्तावित स्थल पर पार्किंग हेतु 21.9X11.6 कुल 250 वर्ग फुट है, जिसमें लगभग 10 मोटर साईकिल खड़ी हो सकती है।
3– **आवेदक के पास कम से कम एक टेलिफोन हों जो दिन रात उपलब्ध हो** के क्रम में बीएसएनएल द्वारा दूरभाष संख्या–01352657059 उपलब्ध कराया गया है।
4– **वित्तीय साधन के रूप में** कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए है।
5– **आवेदक के पास कम से कम 05 मोटरसाईकिल हो** के क्रम में आवेदक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसे मोटरसाईकिल किराया योजना के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त होने के पश्चात मोटरसाईकिल खरीद ली जाएगी।

(8) श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री सुभाष मल्होत्रा निवासी 46/1, राजीवनगर, कांवाली, देहरादून द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों हेतु लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, किरायानामा आदि के प्रमाण–पत्रों की प्रति संलग्न करते हुये आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रू0 1000 रसीद संख्या–851463 दिनांक 27–02–2017 द्वारा जमा किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या–888/एसटीए/दस–75/2017 दिनांक 01–03–2017 के माध्यम से सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून से आवेदन पत्र का परीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–मैमो /प्राविधिक/2017 दिनांक 08–08–2017 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– **आवेदक का नैतिक चरित्र** के क्रम में उपजिलाधिकारी, देहरादून द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है।
2– **आवेदक के पास यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था की सुविधा हेतु स्थान** हेतु प्रस्तावित स्थल पर स्वागत कक्ष एवं शौचालय/पानी की व्यवस्था है। प्रस्तावित स्थल पर पार्किंग हेतु 108 वर्ग फुट स्थान उपलब्ध है, जिसमें लगभग 05 मोटर साईकिल खड़ी हो सकती है।
3– **आवेदक के पास कम से कम एक टेलिफोन हों जो दिन रात उपलब्ध हो** के क्रम में बीएसएनएल द्वारा दूरभाष संख्या–01352720013 उपलब्ध कराया गया है।
4– **वित्तीय साधन के रूप में** कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए है।

5– **आवेदक के पास कम से कम 05 मोटरसाईकिल हो** के क्रम में आवेदक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसे मोटरसाईकिल किराया योजना के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त होने के पश्चात मोटरसाईकिल खरीद ली जाएगी।

(9) श्री नवीन कुमार खोखर पुत्र श्री सुन्दर सिंह खोखर निवासी बिगरीन कैफे, 4 खम्बा रोड़, अपोजिट ग्राफिक ऐरा ब्वाईज हॉस्टल, क्लेमेनटाउन, देहरादून द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों हेतु लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, किरायानामा आदि के प्रमाण–पत्रों की प्रति संलग्न करते हुये आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रू0 1000 रसीद संख्या–690472 दिनांक 23–09–2017 द्वारा जमा किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या–5899/एसटीए/दस–75/2017 दिनांक 25–09–2017 के माध्यम से सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून से आवेदन पत्र का परीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–मैमो/टी0आर0/मो0सा0कि0यो0 /निरी0/2017 दिनांक 25–11–2017 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गई:–

1– **आवेदक का नैतिक चरित्र** के क्रम में उपजिलाधिकारी, देहरादून द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है।
2– **आवेदक के पास यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था की सुविधा हेतु स्थान** हेतु प्रस्तावित स्थल पर स्वागत कक्ष एवं शौचालय/पानी की व्यवस्था है। प्रस्तावित स्थल पर पार्किंग हेतु 8'4'' X 25'5'' वर्गमीटर स्थान उपलब्ध है, जिसमें लगभग 09 मोटर साईकिल खड़ी हो सकती है।
3– **आवेदक के पास कम से कम एक टेलिफोन हों जो दिन रात उपलब्ध हो** के क्रम में बीएसएनएल द्वारा दूरभाष संख्या 0135–2643098 उपलब्ध कराया गया है।
4– **वित्तीय साधन के प्रमाण में** आवेदक द्वारा 03 वर्ष की आई0टी0आर0 को फोटोप्रति संलग्न है।
5– **आवेदक के पास कम से कम 05 मोटरसाईकिल हो** के क्रम में आवेदक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसे मोटरसाईकिल किराया योजना के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त होने के पश्चात मोटरसाईकिल खरीद ली जाएगी।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा मोटर साईकिल किराया (स्कीम) योजना, 1997 को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 के मद संख्या–1 के क्रमांक 16 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश किये गये हैः–

''प्राधिकरण द्वारा सभी सम्बन्धित को सुनने एवं केन्द्र सरकार द्वारा मोटर साईकिलों को किराये पर देने के लिए बनायी गयी किराया योजना (स्कीम), 1997 में दी गयी शर्तों एवं श्री गुरविन्दर सिंह सेठी तथा अन्य के तर्कों पर गम्भीरता से विचार–विमर्श किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् वि चारोपरान्त राज्य में रोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी उक्त योजना को उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रार्थियों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, तो नियमावली में दी गयी सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्रों को प्राधिकरण की नियमित बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।''

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पंजीयन अधिकारियों को जॉच हेतु निर्देशित किया गया है किन्तु अभी तक जॉच आख्या प्राप्त नहीं हुई हैंः–

1– मै0 धूम बाईक, U/C श्री भरत सिंह – जॉच आख्या प्राप्त नहीं है।
2– मै0 पैडल पुशरस एल0एल0पी0, U/C श्रीमती भूषण – जॉच आख्या में फर्म के स्वामित्व अथवा किराये का कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3– मै0 बिल्लू बाईक रेन्टल, U/C श्री राजेश कुमार अरोड़ा–जॉच आख्या में चरित्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं है।
4– श्री मोहित कुमार अरोड़ा – जॉच आख्या प्राप्त नहीं है।
5– मै0 लक्की मोटर्स – जॉच आख्या प्राप्त नहीं है।
6– श्री मनोज भूटानी – जॉच आख्या प्राप्त नहीं है।
7– मै0 एडवेन्चर राईडर्स – जॉच आख्या प्राप्त नहीं है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामलों पर विचार व आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–13

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 82(2) के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष के टैक्सी कैब परमिट संख्या–13504/एस.टी.ए./टैक्सी/एआई को चांद पुत्र श्री अब्दुल गफूर के नाम से श्रीमती समीना पत्नी स्व0 श्री चांद निवासी सत्तोवाली घाटी, काली मन्दिर एनक्लेव, जी0एम0एस0रोड, देहरादून के नाम हस्तान्तरण के प्रत्यावेदन दिनांक 14–07–2017 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री चॉद पुत्र श्री अब्दुल गफूर निवासी–सत्तोवाली घाटी, काली मन्दिर एनक्लेव, जी.एम.एस. रोड़, देहरादून के नाम पर समस्त भारतवर्ष का परमिट संख्या–13504/एस.टी.ए./टैक्सी/ए.आई./12 है, जो दिनांक 18–03–2017 तक वैध था, जिस पर वाहन संख्या UK07TA-5838, मॉडल 2012 संचालित है। उनकी पत्नी श्रीमती समीना द्वारा प्रार्थना पत्र दिया है कि परमिटधारक जो उनके पति है, का स्वर्गवास दिनांक 27–10–2016 को हो गया है। उनके द्वारा उक्त परमिट को नवीनीकरण एवं हस्तान्तरण करने का अनुरोध किया गया गया है। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82(2) में हस्तान्तरण के सम्बन्ध निम्न प्राविधान किया गया है :–

जहां किसी परमिट के धारक की मृत्यु हो जाती है, वहां परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों का कब्जा लेने वाला उत्तरवर्ती व्यक्ति परमिट का उपयोग तीन मास की अवधि के लिए करेगा मानों वह उसे दिया गया हो :

परन्तु वह तब जब कि ऐसे व्यक्ति ने धारक की मृत्यु के तीस दिन के अन्दर उस परिवहन प्राधिकरण के जिससे परमिट दिया था, धारक की मृत्यु की और परमिट का उपयोग करने के अपने आशय की सूचना दी हो:

परन्तु यह और कि किसी भी परमिट का इस प्रकार उपयोग उस तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा जिसको वह मृत धारक के पास हो, नवीकरण के बिना प्रभावी नहीं रह जाता।

प्रार्थिनी द्वारा उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून द्वारा जारी उत्तरजीवी प्रमाण पत्र दिनांक 05–05–2017 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार मृतक के निम्न वारिसान बताये गये है :–

क्र0सं0	सदस्य का विवरण	मृतक से सम्बन्ध	उम्र
1	श्रीमती समीना	पत्नी	33
2	कु0 आदिवा	पुत्री	11
3	मा0 मोमीन	पुत्र	09

4	मा0 मोईन	पुत्र	04

प्रार्थिनी द्वारा मृतक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–14

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–70, 71 व 72 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत रामनगर–श्री बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के लिए प्राप्त स्थाई सवारी गाड़ी के प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

उल्लेखनीय है कि सवारी गाड़ी/ठेका गाड़ी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 की उपधारा–2 में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर करने से इन्कार नहीं करेगाः

परन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा–71 की उपधारा–3 के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा–74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका–गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगीः

परन्तु यह और कि जहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर कर देता है, वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर किए जाने के अपने कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय में उसे सुनवाई का अवसर देगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–71 की उपधारा–3 (क) में पॉच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों के लिए निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''राज्य सरकार, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़कों की दशा और अन्य सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए, इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाए तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि वह पांच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्गों पर प्रचालित होने वाली साधारण मंजिली–यान या किसी विनिर्दिष्ट किस्म की मंजिली–गाड़ी की संख्या को, जो अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट की जाए, सीमित करे।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग अर्न्तसम्भागीय मार्ग है। इस मार्ग के शाखा मार्गों को सम्मिलित करते हुए मार्ग की कुल लम्बाई 514 कि0मी0 है। इस मार्ग का 196 कि0मी0 पौड़ी सम्भाग में तथा 318 कि0मी0 कुमाऊॅ सम्भाग में पड़ता है। मार्ग पर वर्तमान में कुल 52 स्थायी सवारी गाड़ी परमिट वैध हैं। रामनगर–श्री बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	प्रार्थी का नाम व पता	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि	टिप्पणी
1	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री घनानन्द निवासी–नया गॉव, तेलीपुरा, रामनगर जिला नैनीताल	17–04–2015	समय सारणी संलग्न।
2	श्री हेम चन्द्र गैरोला पुत्र श्री मोहन चन्द निवासी टॉडा मल्लू रामनगर, नैनीताल	20–09–2016	तदैव
3	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुरूदेव सिंह निवासी मोतीमहल वार्ड नं0–4, रामनगर, नैनीताल।	22–09–2017	तदैव
4	डा0 दीपक गौड, पुत्र डा0 ताराचन्द्र गौड, निवासी 137 दुर्गापुरी, रामनगर, नैनीताल	27–10–2017	तदैव
5	श्री संदीप कुमार पुत्र श्री हरपाल सिंह निवासी	06–11–2017	तदैव

	किशनपुर, रामनगर, नैनीताल।		
6	देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह, निवासी दुर्गा मंदिर के पास भरतपुरी, रामनगर, नैनीताल	21–07–2017	तदैव

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15–11–2007 के संकल्प संख्या–12 के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर मार्ग की दशा, प्रदूषण एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृत परमिट 05 वर्ष से कम पुरानी वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी करने की शर्त अधिरोपित की गई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–15

मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून, काठगोदाम एवं टनकपुर से विभिन्न अर्न्तराज्यीय/अन्तरसम्भागीय मार्ग हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश। प्राप्त प्रार्थनापत्रों का परिशिष्ट **''क''** पर वर्णित है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालन हेतु राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ परिवहन करार हो चुका है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा 88 की उपधारा– (1), (5) व (6) में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

"Section 88- Validation of permits for use outside region in which granted- (1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned;

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State shall be valid in that area without the counter signature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned;

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in that other
State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State;

Provided also that-

(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and

(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State."

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area; shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less than thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which, and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

(6) Every agreement arrived at between the States shall, in so far as it relates to the grant of countersignature of permits, be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in the regional language circulating in the area or route covered by the agreement and the State Transport Authority of the State and the Regional Transport Authority concerned shall give effect to it."

इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पूर्व में अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी सवारी गाडी परमिटों हेतु आवेदन किये गये थे, जिसे राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27–12–2012 के मद/संकल्प संख्या–9 द्वारा सम्बन्धित राज्य से प्रतिहस्ताक्षर के अधीन स्वीकृत किये गये हैं।

2– इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा उक्त के पश्चात् अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी सवारी गाडी परमिटों हेतु आवेदन किये गये थे, जिसे राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से दिनांक 17–10–2013

द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी सवारी गाडी परमिटों को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की शर्त पर स्वीकृत किये गये हैं।

3– उपरोक्त के पश्चात् उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पुनः अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सवारी गाडी परमिटों हेतु आवेदन किये गये थे, जिसे प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–03–2015 के मद/संकल्प संख्या–9 के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 के विहित प्राविधानों के बाध्यता के दृष्टिगत परमिट के प्रार्थना पत्रों को निरस्त किया गया है।

4– उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या–198/2010 श्री रामकुमार सैनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 06–09–2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैं:–

"Accordingly, the writ petition is disposed of. Respondent nos. 1 and 4 are directed to Strictly enforce Sections 66 and 86 of the Motor Vehicle Act, 1988 and Rules framed thereunder more particularly, Rules 70 and 71 of the Uttarakhand Motor Vehicle Rules, 2011. The Secretary Transport and Transport Commissioner shall personally be liable to implement the directions issued by the Court in larger public interest."

मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–6394/विधि/रिट–198/एम0एस0/2010/17 दिनांक 02–11–2017 द्वारा प्रदेश के समस्त सम्भागीय/सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन कर संग्रह केन्द्र के प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। मा0 न्यायालय के उक्त आदेशों के पश्चात मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–2112/2011/एम0एस0 श्री अरूण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 07–09–2017 को निम्न आदेश पारित किए गए हैं:–

"1. All the Regional Transport Officers, Assistant Regional Officers (Enforcement) as well as the Regional Transport Authorities, throughout the State of Uttarakhan, are directed to ensure due compliance of the provisions of Section 66, 86 and 88 of the Motor Vehicles Act, and the Rules framed thereunder, by conducting the surprise checks.

2. It shall be the duty of the respondent-State to ensure that no buses of adjoining States are plied without any reciprocal arrangement entered into between the State of Uttarakhand and the adjoining States.

3. The State Government is directed to ensure that all the motor vehicles registered under the Motor Vehicles Act i.e. Schools Vans, Private Buses, Maxi Cab, Auto-Rickshaws, Tempos, Tata Magic, Tata Maximo, Jugad etc. are plied strictly in conformity with the law and the Rules framed under the Motor Vehicles Act.

4. All the Senior Superintendents of Police/Superintendents of Police are directed to check overloading in the public conveyance as well as in transport vehicles including school Vans."

मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–6309/विधि/रिट–2112/2012/2017 दिनांक 28–10–2017 द्वारा प्रदेश के समस्त सम्भागीय/सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन कर संग्रह केन्द्र के प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही कार्यालय के पत्र संख्या–6308/विधि/रिट–2112/2012/2017 दिनांक 28–10–2017 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, लखनऊ, प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा, प्रबन्ध निदेशक, पंजाब रोडवेज, प्रबन्ध निदेशक, चण्डीगढ़ (यू0टी0), प्रबन्ध निदेशक, मध्य प्रदेश परिवहन निगम, प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान पथ परिवहन निगम एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार व आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–16

राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिटों से आच्छादित व्यवसायिक वाहनों के ओवरलोडिंग/ओवरस्पीडिंग में दो या दो से अधिक बार प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किये गये चालान, जो वर्तमान में अनिस्तारित हैं, के परमिटों के विरूद्ध मोटरगाड़ी अंधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर विचार व आदेश पारित करना।

इस सम्बन्ध में अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15–07–2003 के संकल्प संख्या–15 में आदेश पारित किए गये थे कि ओवरलोडिंग के प्रथम अपराध को प्रशमित किया जाय तथा द्वितीय

एवं तृतीय अपराध में क्रमशः परमिट एवं लाईसेन्स के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दो या दो से अधिक बार ओवरलोडिंग के अभियोगों में परमिटों के विरूद्ध मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–86 की कार्यवाही हेतु सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रेषित् किये गये हैं।

मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–86 में परमिटों के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

(1) जिस परिवहन प्राधिकरण ने परमिट दिया है वह निम्नलिखित दशाओं में परमिट रद्द कर सकेगा या इतनी अवधि के लिए निलम्बित कर सकेगा, जितना वह ठीक समझे।

(ख) यदि परमिट का धारक किसी यान का उपयोग किसी ऐसी रीति से करता है या कराता है या करने देता है, जो परमिट द्वारा प्राधिकृत नहीं है।

x x x

परन्तु कोई भी परमिट तब तक निलम्बित या रद्द नहीं किया जायेगा जब तक परमिट के धारक को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) जहॉ परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को रद्द या निलम्बित करता है वहां वह की गई कार्यवाही के बारे में अपने कारण उसके धारक को लिखित रूप से देगा।

(5) जहां कोई परमिट उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) के अधीन रद्द या निलम्बित किए जाने योग्य है और परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परमिट को इस प्रकार रद्द या निलम्बित करना उस दशा में आवश्यक या समीचीन न होगा जब परमिट का धारक एक निश्चित धनराशि देने के लिए सहमत हो जाता है वहां उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, परमिट को रद्द या निलम्बित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है।

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 में दिए गये प्राविधानानुसार प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं सी0पी0यू0 से परमिट के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित मामले प्राप्त हुये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है :–

1– श्री एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को दिनांक 24–07–2015 को प्रत्यावेदन दिया गया जो कि सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के पत्र संख्या–2168/आर.टी.ए./दस–01–2015 दिनांक 07–08–2015 के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वाहन संख्या–यूके07पीए–1803 का चालान सीटी पैट्रोल यूनिट द्वारा किया गया है, उक्त चालान करने हेतु सिटी पेट्रोल यूनिट सक्षम एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। विधिक क्षेत्राधिकार प्राप्त किये बगैर कोई भी अधिकारी चालान या बन्द नहीं कर सकता है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री एस0के0 श्रीवास्तव पुत्र श्री डी0पी0 श्रीवास्तव, निवासी 4 बी, राजा रोड़, देहरादून के नाम देहरादून–कुल्हान वाया विकासनगर मार्ग का मंजिली गाडी परमिट संख्या–256/एस.टी.ए./एस.सी./यू.ए./09 है, जो दिनांक 15–04–2019 तक वैध है। इस परमिट पर पूर्व में वाहन संख्या यूके07पीए–1803 संचालित थी। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान सीटी पेट्रोल यूनिट, देहरादून द्वारा दिनांक 06–1–2015 एवं 07–01–2015 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

(1)– चालान दिनांक 06–01–2015

(i) **35 सवारी के सापेक्ष 44 सवारी बैठी हैं, 09 सवारी अधिक हैं।**

(2)– चालान दिनांक 07–01–2015

(i) **वाहन में क्षमता 35 के सापेक्ष 44 सवारी बैठी हैं, 09 सवारी अधिक हैं। परमिट शर्तों का उल्लंघन किया।**
(ii) **आर0सी0 नही है।**

2– श्री यादेश वर्मा पुत्र श्री प्रकाश वर्मा, निवासी 120 ईदगाह, प्रकाश नगर, कोतवाली, देहरादून के नाम देहरादून–डाकपत्थर वाया विकासनगर सहबद्ध मार्ग (उत्तर प्रदेश मार्ग भाग को छोड़कर) का मंजिली गाडी परमिट संख्या–68/एसटीए/एससी/यूए/14 है, जो दिनांक 16–09–2021 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए07एन–2355 संचालित है। **उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान दिनांक 08–08–2012 को किये गये चालान का**

निस्तारण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन द्वारा दिनांक 28–08–2012 को किया गया एवं दिनांक 13–08–2014 को किये गये चालान का निस्तारण 06–09–2014 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन द्वारा किये जाने की सूचना पत्रावली में है। उपरोक्त के अतिरिक्त परिवहन कर अधिकारी–1, विकासनगर/चकराता द्वारा दिनांक 23–11–2015 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

(1)– चालान दिनांक 23–01–2015

(i) **वाहन में कुल 51 के सापेक्ष 55 सवारी ले जाते पाये गये।**

3– श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री धानु सिंह, निवासी तियूताड पो0ओ0 त्यूनी, देहरादून के नाम समस्त उत्तराखण्ड मैक्सी कैब परमिट संख्या–10479/एसटीए/मैक्सी/यूके/14 है, जो दिनांक 27–08–2019 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके07टीए–8720 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, विकासनगर एवं परिवहन कर अधिकारी–1, विकासनगर/चकराता द्वारा क्रमशः दिनांक 16–06–2015 एवं दिनांक 07–05–2016 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

(1)– चालान दिनांक 16–05–2015

(i) **वाहन में कुल 12 लोग बैंठे हैं, जिसमें से चालक केबिन में चालक सहित 04 लोग बैठे हैं।**
(ii) **आर0पी0 प्रस्तुत नहीं किया।**
(iii) **कर जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।**
(iv) **डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया। चालान निस्तारित।**

(2) चालान दिनांक 07–05–2016

(i) **वाहन में 14 इन ऑल लोग बैठे थे, जिसमें से 02 सवारी छत पर बैठे हैं।**
(ii) **परमिट के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।**
(iii) **वैध डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया।**

उक्त संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–5117/ एसटीए/मैक्सी/14 दिनांक 09–12–2016 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से आतिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

4– श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री धानु सिंह, निवासी तियूताड पो0ओ0 त्यूनी, देहरादून के नाम समस्त उत्तराखण्ड मैक्सी कैब परमिट संख्या–10479/एसटीए/मैक्सी/यूके/14 है, जो दिनांक 27–08–2019 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके07टीए–8720 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, विकासनगर एवं परिवहन कर अधिकारी–1, विकासनगर/चकराता द्वारा क्रमशः दिनांक 16–06–2015 एवं दिनांक 07–05–2016 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

(1)– चालान दिनांक 16–05–2015

(i) **वाहन में कुल 12 लोग बैंठे हैं, जिसमें से चालक केबिन में चालक सहित 04 लोग बैठे हैं।**
(ii) **आर0पी0 प्रस्तुत नहीं किया।**
(iii) **कर जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।**
(iv) **डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया। चालान निस्तारित।**

(2) चालान दिनांक 07–05–2016

(i) **वाहन में 14 इन ऑल लोग बैठे थे, जिसमें से 02 सवारी छत पर बैठे हैं।**
(ii) **परमिट के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।**
(iii) **वैध डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया।**

उक्त संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–5117/ एसटीए/मैक्सी/14 दिनांक 09–12–2016 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से आतिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

5– श्रीमती ममता पत्नी श्री अनिल, 221 वार्ड नं0–6, विकासनगर, देहरादून के नाम देहरादून–डाकपत्थर वाया विकासनगर सहबद्ध मार्ग (उत्तर प्रदेश मार्ग भाग को छोड़कर) का मंजिली गाडी परमिट संख्या–106/एस.टी.ए./एस.सी./यूके/09 है, जो दिनांक 31–05–2018 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके07पीए–0582 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), विकासनगर एवं परिवहन कर अधिकारी–1, विकासनगर/चकराता द्वारा क्रमशः दिनांक 20–08–2014 एवं दिनांक 19–01–2016 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

(1)– चालान दिनांक 20–08–2014

(i) **परिचालक अजमल अली द्वारा वैध डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया गया।**
(ii) **41 के सापेक्ष 44 सवारी बैठी पायी गयी।**
(iii) **आर0पी0 प्रस्तुत नहीं की गयी।**

(2) चालान दिनांक 19–01–2016

(i) **वैध आर0पी0 प्रस्तुत नहीं की गयी।**
(ii) **वाहन में 15 सवारी सीटो के अतिरिक्त खडी हैं। अतः 15 सवारी ओवरलोड है।**

उक्त संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–1993/एसटीए दिनांक 15–06–2015 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से आतिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

6– राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18–04–2016 के मद/संकल्प संख्या–10 के क्रमांक–10 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वर्णित स्टेज कैरिज परमिट संख्या–26/एसटीए/एससी, जिस पर वाहन संख्या–यूपी05जी–9081, मॉडल–2002 संचालित है। परमिट धारक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक से पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रश्नगत प्रकरण पर पैरवी हेतु

उपस्थित होने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। परमिट धारक उपस्थित नहीं हुए। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित पत्र का अवलोकन किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बस संख्या–यूपी25जी–9081 के चालक द्वारा जिला विकास अधिकारी, अल्मोड़ा के वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा वाहन स्वामी को क्षतिग्रस्त राजकीय वाहन की मरम्मत कराने हेतु उपस्थित होकर पक्ष प्रेषित करने का नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु वाहन स्वामी द्वारा कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परमिट धारक व जिला विकास अधिकारी, अल्मोड़ा को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण द्वारा इस प्रकरण को आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

7– श्री खीम सिंह पुत्र श्री केशर सिंह, निवासी ग्राम जोशीगांव, पो0 घिरोली, बागेश्वर के नाम समस्त उत्तराखण्ड का ठेका गाडी परमिट संख्या–3384/एसटीए/मैक्सी/यूए/07 है, जो दिनांक 10–12–2017 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए02–2212 संचालित है। उक्त वाहन के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर के पत्रांक–वाचक–21/2013 दिनांक 09–07–2014 प्रेषित किया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि वाहन संख्या–यूए02–2212 के चालक श्री दीपक सिंह कोरंगा द्वारा दिनांक 03–06–2014 को कानि0 59 ना0पु0 श्री देवराज सिंह व होमगार्ड 1628 श्री मोहन राम जो रात्रिकालिन गश्त से वापस आ रहे थे, उनकी मोटरसाईकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। वाहन में कार्यरत चालक श्री दीपक कोरंगा, बिना ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन का संचालन कर रहा था। उक्त के सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 न0–21/2014 धारा–279/337/338/427 दर्ज करायी गयी। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर द्वारा उक्त वाहन स्वामी को अप्रशिक्षित एवं बिना ड्राईविंग लाईसेंस धारक को वाहन चलाने दिये जाने पर परमिट को जनहित में निरस्त करने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त के दृष्टिगत वाहन स्वामी श्री खीम सिंह पुत्र श्री केशर सिंह, निवासी ग्राम जोशीगांव, पो0 घिरोली, बागेश्वर को इस कार्यालय के पत्र संख्या–1751 दिनांक 22/29–05–2015 द्वारा नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से आतिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

8– मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–272/मा0मु0मं0आ0/2017 दिनांक 05–07–2017 के माध्यम से श्री जितेन्द्र दोशी, 75 चौधरी कालोनी, मंदसोर, मध्य प्रदेश के दिनांक रहित शिकायती पत्र में उल्लिखित यतीन्द्र टूर एवं ट्रैवल्स के माध्यम से संचालित 13 टैक्सियां (UK04TA-3106, 9199, 1932, 7552, 5677, 3175, 1100, 5383, 8007, 4018, 9177, 9533, 8505) पर धारा–86 की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री जितेन्द्र दोशी, 75 चौधरी कालोनी, मंदसोर, मध्य प्रदेश का दिनांक रहित शिकायती पत्र, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–272/मा0मु0मं0आ0/2017 दिनांक 05–07–2017 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में श्री दोशी द्वारा शिकायत की गयी है कि दिनांक 20–06–2017 को पर्यटन स्थल नैनीताल के भ्रमण हेतु यतीन्द्र टूर एवं ट्रैवल्स से 13 टैक्सियां (UK04TA-3106, 9199, 1932, 7552, 5677, 3175, 1100, 5383, 8007, 4018, 9177, 9533, 8505) किराये पर बुक की गयी थी। भ्रमण के उपरान्त इन टैक्सी के चालकों द्वारा किराये को लेकर भ्रमण दल के साथ अभद्रता की गयी। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा की गई है। उक्त शिकायती पत्र में वर्णित 13 वाहनों में से 10 वाहन राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड से जारी परमिटों से आच्छादित है, जिन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत नोटिस भेजे गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट धारक का नाम व पता	नोटिस संख्या व दिनांक	प्राप्त उत्तर
1	UK04TA	16272/S	श्री कुर्बान अली पुत्र श्री	4681/एसटीए/	ग्राम छोई के पास सोगानी यात्रा सर्विस की 02 बसें आयी

	-5677	TA/TAXI/AI/14	इसामीर अब्दुल्ल, निवासी–जून स्टेट, वार्ड नं0–9, भीमताल, नैनीताल।	16272/टैक्सी/ए0आई0/ 14 दिनांक 17–07–2017	थी, जिनके द्वारा ग्रा0 छोई निवासी बॉबी (मो0 9837036358) के द्वारा टैक्सियां बुक की गयी थी, उसी के द्वारा किराया तय किया गया और हमें 2800 रू0 बताया गया। वापस आने पर बॉबी ने भ्रमण दल से 3200 रू0 लेने को कहा। इसी किराये को लेकर भ्रमण दल के मुखिया, बस वाले और टैक्सी बुक कराने वाले बॉबी के बीच में मतभेद हुआ और हमारे चालकों के ऊपर डाल दिया। इसमें हमारे चालकों का कोई लेना देना नहीं है। हमें मात्र 2800 रू0 किराया प्राप्त हुआ है।
2	UK04TA-9199	21112/STA/MAXI/AI/17	श्री जितेन्द्र लुथरा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी–99, वार्ड नं0–4, मोती महल, रामनगर, नैनीताल।	4683/एसटीए/21112/मैक्सी/ए0आई0/17 दिनांक 17–07–2017	ग्राम छोई के पास सोगानी यात्रा सर्विस की 02 बसें आयी थी, जिनके द्वारा ग्रा0 छोई निवासी बॉबी (मो0 9837036358) के द्वारा टैक्सियां बुक की गयी थी, उसी के द्वारा किराया तय किया गया और हमें 2800 रू0 बताया गया। वापस आने पर बॉबी ने भ्रमण दल से 3200 रू0 लेने को कहा। इसी किराये को लेकर भ्रमण दल के मुखिया, बस वाले और टैक्सी बुक कराने वाले बॉबी के बीच में मतभेद हुआ और हमारे चालकों के ऊपर डाल दिया। इसमें हमारे चालकों का कोई लेना देना नहीं है। हमें मात्र 2800 रू0 किराया प्राप्त हुआ है।
3	UK04TA-4018	2036/STA/TAXI/UK/12	श्री सुरेन्द्र सिंह साह पुत्र श्री डिंगर सिंह साह, निवासी–हरिपुर कर्नल वार्ड, संजयनगर, आवास विकास, हल्द्वानी, नैनीताल।	/एसटीए–2036/टैक्सी/यू.के./12 दिनांक 17–07–2017	मैं यतिन्द्र टूर ट्रैवल्स को नहीं जानता हूं और न ही दिनांक 20–06–2017 को उक्त ट्रैवल ऐजन्सी में मेरा वाहन गया था। मैं शिकायतकर्ता को नहीं जानता हूं और न ही मेरा उनसे कोई हुआ है। उक्त दिनांक को मेरी गाडी पंजाब के यात्री श्री मनोज जिसका मो0 नं0 7009744784 है, के साथ दिनांक 20–06–2017 से 24–06–2017 तक किराये पर थी। मैं वाहन का स्वामी हूं और वाहन को स्वयं चलाता हूं। उक्त तिथि को किसी पर्यटक या यात्री से कोई विवाद नहीं हुआ है।
4	UK04TA-9533	21630/STA/MAXI/AI/17	श्रीमती ममता उप्रेती पत्नी श्री यतेन्द्र उप्रेती, निवासी–लखनपुर, रामनगर रेंज, रामनगर,	/एसटीए–21630/मैक्सी/ए0आई0/17 दिनांक	ग्राम छोई के पास सोगानी यात्रा सर्विस की 02 बसें आयी थी, जिनके द्वारा ग्रा0 छोई निवासी बॉबी (मो0 9837036358) के द्वारा टैक्सियां बुक की गयी थी, उसी के द्वारा किराया तय किया गया और हमें 2800 रू0 बताया

			नैनीताल।	17–07–2017	गया। वापस आने पर बॉबी ने भ्रमण दल से 3200 रू0 लेने को कहा। इसी किराये को लेकर भ्रमण दल के मुखिया, बस वाले और टैक्सी बुक कराने वाले बॉबी के बीच में मतभेद हुआ और हमारे चालकों के ऊपर डाल दिया। इसमें हमारे चालकों का कोई लेना देना नहीं है। हमें मात्र 2800 रू0 किराया प्राप्त हुआ है।
5	UK04TA -8505	20282/S TA/MA XI/AI/16	श्री यतेन्द्र उप्रेती पुत्र श्री रती राम उप्रेती, निवासी–18, लखनपुर, टेड़ा रोड, वार्ड नं0–2, रामनगर, नैनीताल।	/एसटीए–20282 /मैक्सी/ए0आई 0/16 दिनांक 17–07–2017	तदैव
6	UK04TA -9177	21086/S TA/TAX I/AI/17	श्री दलवीर सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, निवासी–जाटव बस्ती, वार्ड नं0–1, रामनगर, नैनीताल।	4676/एसटीए/ 21086/टैक्सी/ ए0आई0/17 दिनांक 17–07–2017	स्पष्टीकरण वापस
7	UK04TA -8007	19504/S TA/MA XI/AI/16	श्री मुख्तीयार हुसैन पुत्र श्री इन्तजार हुसैन, निवासी–253, गुलरघटटी, रामनगर, नैनीताल।	4678/एसटीए/ 19504/मैक्सी/ए 0आई0/16 दिनांक 17–07–2017	स्पष्टीकरण वापस
8	UK04TA -5383	15941/S TA/MA XI/AI/13	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राजा राम, निवासी–410, गुलरघटटी, रामनगर, नैनीताल।	4679/एसटीए/ 15941/मैक्सी/ए 0आई0/13 दिनांक 17–07–2017	स्पष्टीकरण वापस
9	UK04TA -1100	5661/ST A/MAXI /UK/09	श्री भगवत सिंह पुत्र श्री डुंगर सिंह, निवासी–देवीधुरा, पटवाडांगर,	4680/एसटीए/ 5661/मैक्सी/ए0 आई0/09 दिनांक	स्पष्टीकरण अप्राप्त

			नैनीताल।	17–07–2017	
10	UK04TA -1932	6260/ST A/MAXI /UK/10	श्रीमती जानकी बिष्ट पत्नी श्री प्रकाश सिंह, C/O श्री गंगा गड़ीया, निवासी–देवलढुंगा, तल्लीताल, नैनीताल।	4682/एसटीए/ 6260/मैक्सी/यू 0के0/17 दिनांक 17–07–2017	स्पष्टीकरण वापस

उपरोक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित अन्य 03 वाहनों (UK04TA-3106, UK04TA-3175 एवं UK04TA-7552) के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही करने हेतु सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी को कार्यालय के पत्र संख्या–4656/एस.टी.ए./दस–32/2017 दिनांक 15–07–2017 द्वारा निर्देशित किया गया है, किन्तु प्रश्नगत वाहनों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–18 में परिवहन यानों के ड्राईवरों के कर्तव्य, कृत्य और आचरण का उल्लेख किया गया है। जिसके अन्तर्गत उक्त नियम–18 के उप नियम (1) (तीन) में निम्न उल्लेख किया गया हैः–

''यात्रियों और आरक्षित यात्रियों के साथ शिष्ट और अनुशासित व्यवहार करेगा।''

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरणों पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

अन्य मद–17

अन्य मद अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण की आज्ञा से।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 22–12–2017 की कार्यवाही ।

उपस्थितिः–

1– श्री डी0 सेन्थिल पाण्डियन, अध्यक्ष।
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड ।

2– श्री राकेश चन्द्र पुरोहित, सदस्य।
मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड ।

3– श्री महेश चन्द्र कौशिवा सदस्य।
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

4– श्री रकित वालिया सदस्य।
निवासी ग्राम–जगजीतपुर, पोस्ट–कनखल,
हरिद्वार।

5– श्री सुन्दर सिंह रावत, सदस्य।
निवासी बी–9/7डी, बौराड़ी, नई टिहरी।

6– श्रीमती सुनीता सिंह, सचिव।
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड ।

———————————————————

संकल्प संख्या–01

मद संख्या–01 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 18–04–2016, 27–05–2016, 11–08–2016, 21–11–2016 13–04–2017 तथा 10–10–2017 में की कार्यवाही में पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–02

मद संख्या–02 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–**(अ), (ब), (स) एवं (द)** में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–58 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये परमिटों के प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–03

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82(1) व (2) में दिये गये प्राविधानानुसार मद संख्या–3 (1) व (2) के अन्तर्गत उल्लिखित समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका बस एवं मंजिली गाडी परमिटों के हस्तान्तरण के कुल 596 मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिनिधायन के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत परमिटों के हस्तान्तरण के प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–04

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–68, 74, 76, 90, 104, 116, 142, 143, 230, देहरादून–विकासनगर–कुल्हाल मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–362 एवं रामनगर–श्री बद्रीनाथ मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–19, 22, 23, 27, 64, 65, 66, 67, 69, 342, 344, 352, 355, 359 के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–05

मद संख्या–5 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88(6) में दिए गए प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के मध्य वाहन संचालन हेतु हुये पारस्परिक परिवहन करार की अधिसूचना संख्या–81/2017/526/ix/2003 दिनांक 10–04–2017 का अवलोकन किया गया। अवलोकनोंपरान्त उक्त करार में वर्णित बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्राधिकरण की नियमित बैठक में परमिट निर्गत करने की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

संकल्प संख्या–06

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में साफ–सफाई एवं स्वच्छता को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवसायिक वाहनों के परमिटों में डस्टबिन व डस्टबैग की शर्त अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–852/85/ix–1/2017 दिनांक 27–11–2017 पर विचार किया गया। व्यवसायिक वाहनों के परमिटों में अतिरिक्त शर्त अधिरोपित करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–72 की उपधारा–2 (xxii), धारा–74 की

उपधारा–2(ix), धारा–76 की उपधारा–3 (iii) एवं धारा–79 की उपधारा–2(vii) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये व्यवसायिक वाहनों के परमिटों पर निम्नलिखित अतिरिक्त शर्त निर्धारित की जाती है :–

'' सभी व्यवसायिक वाहनों पर डस्टबीन व डस्टबैग लगाया जाना अनिवार्य होगा। ''

उपरोक्त अतिरिक्त शर्त को सभी परिवहन व्यवसायियों के सूचनार्थ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाय, उक्त शर्त समाचार पत्र में प्रकाशन के एक माह के पश्चात् लागू की जाय।

संकल्प संख्या–07 (1)

मद संख्या 7(1) के अन्तर्गत रिट याचिका संख्या–2496/एम0एस0/2016 मैसर्स जी0एम0ओ0यू0 लि0 बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30–09–2016 के अनुपालन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मैसर्स टी0जी0एम0ओ0यू0लि0 एवं जी0एम0ओ0यू0लि0 के प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर टी0जी0एम0ओ0यू0लि0 एवं जी0एम0ओ0यू0लि0 की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुये। बैठक में टी0जी0एम0ओ0यू0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी द्वारा 200 कि0मी0 की दूरी तक मार्गों का विस्तार किया गया है, जो कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–80 की उपधारा (3) के विपरीत है। मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी के आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। मैसर्स जी0एम0ओ0यू0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा विरोध करते हुये अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण परमिटों पर मार्ग पृष्ठांकन का नहीं है। इन मार्गों पर पूर्व में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी द्वारा यात्रा अवधि में छः माह तक संचालन की अनुमति दी गयी है, जिसको बढ़ाकर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी द्वारा वर्षभर वाहन संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है।

प्राधिकरण द्वारा मैसर्स टी0जी0एम0ओ0यू0लि0 एवं जी0एम0ओ0यू0लि0 के प्रतिनिधियों को सुनने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 15–07–2016 के क्रम में विस्तृत आख्या तैयार करते हुये, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिमत प्राप्त किया जाय। न्याय विभाग का अभिमत प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प संख्या–07 (2)

मद संख्या 7(2) के अन्तर्गत गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी के मार्ग सूची संख्या–6 कर्णप्रयाग केन्द्र के अनुज्ञापत्रों में ऋषिकेश–डांडी–थानों–भोगपुर–देहरादून मार्ग का पृष्ठांकन के सम्बन्ध में सचिव, रूपकुण्ड पर्यटन विकास समिति, चमोली के प्रत्यावेदन दिनांक 11–07–2016 को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया था।

सचिव, रूपकुण्ड पर्यटन विकास समिति, चमोली को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर रूपकुण्ड पर्यटन विकास समिति के प्रतिनिधि उपस्थित हुये, उनके द्वारा पौड़ी सम्भाग के मार्ग सूची संख्या–6 कर्णप्रयाग केन्द्र के परमिटों में ऋषिकेश–डांडी–थानों–भोगपुर–देहरादून मार्ग का पृष्ठांकन करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा रूपकुण्ड पर्यटन विकास समिति, चमोली के प्रतिनिधि को सुनने के पश्चात् पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1037–टी0/30 दिनांक 16–03–1961 का अवलोकन किया गया है। अवलोकनोंपरान्त देहरादून–ऋषिकेश मार्ग अधिसूचित मार्ग है। अधिसूचित मार्ग पर संचालन हेतु परिवहन निगम अधिकृत है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त ऋषिकेश–डांडी–थानों–भोगपुर मार्ग का ऋषिकेश से डांडी (रानीपोखरी) मार्ग भाग अधिसूचित मार्ग का भाग होने के कारण रूपकुण्ड पर्यटन विकास समिति, चमोली के प्रत्यावेदन दिनांक 11–07–2016 को निरस्त किया जाता है।

संकल्प संख्या–08

मद संख्या–08 के अन्तर्गत अपील संख्या–1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–08–2017 एवं मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–2642/एम0एस0/2017, श्री अमित डोभाल बनाम विजय वर्धन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30–10–2017 में पारित आदेशों का अनुपालन करने हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर आवेदनकर्ताओं की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री भूषण त्यागी उपस्थित हुये। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–2642/एम0एस0/2017 एवं अन्य याचिकाओं में आवेदनकर्ताओं के परमिटों पर एक माह के अन्तर्गत निर्णय लेने के निर्देश दिये गये हैं एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता श्री अमित डोभाल की याचिका को खारिज किया गया। जिसके आधार पर मार्ग के परमिट धारकों को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। आवेदनकर्ताओं द्वारा देहरादून से पौंटा अन्तर्राज्जीय मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन किये गये हैं। इस मार्ग पर पूर्व में प्राधिकरण द्वारा मार्ग करटेल करते हुये देहरादून से कुल्हाल तक परमिट स्वीकार किये गये हैं। अतः उनके द्वारा देहरादून से कुल्हाल (पौंटा को छोड़कर) परमिट स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

आपत्ति कर्त्ताओं की ओर से एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित हुए, उनके द्वारा मार्ग पर परमिट स्वीकार न करने का अनुरोध किया गया है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम की ओर से श्री दीपक जैन, महाप्रबन्धक (संचालन) उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ''हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ उत्तराखण्ड राज्य का पारस्परिक परिवहन करार माह अप्रैल, 2017 को सम्पन्न हो गया है, जिसमें निजी संचालकों को वाहन संचालन की सहमति नहीं है।''

प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य सम्पन्न हुये पारस्परिक परिवहन करार की अधिसूचना संख्या–81/2017/526/IX/2003 दिनांक 10 अप्रैल, 2017 का अवलोकन किया गया, जिसमें निजी संचालकों को वाहन संचालन की अनुमति नहीं है। देहरादून से पौंटा मार्ग अन्तर्राज्जीय मार्ग है। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य

सम्पन्न हुये पारस्परिक परिवहन करार में निजी प्रचालकों को संचालन की सहमति नहीं है, जिसके दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आवेदनकर्ता श्री भीम सिंह पुत्र स्व0श्री नाथी सिंह, श्री आशीष कुमार पुत्र स्व0 श्री चमन लाल, श्री सुनील कुमार पुत्र स्व0 श्री गुणानन्द, श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द, श्रीमती मिथलेश रानी पत्नी श्री भूषण कुमार, श्री गुरूबक्श सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, श्री विजय वर्धन पुत्र स्व0 श्री सत्य प्रसाद के देहरादून से पौंटा मार्ग के दिनांक 25–05–2016 को प्रस्तुत सभी स्थायी सवारी गाडी के प्रार्थना पत्रों को निरस्त किया जाता है।

संकल्प संख्या–09

मद संख्या 09 के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहनों के यात्री किराये एवं मालभाडे की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रदेश की विभिन्न परिवहन यूनियनों, परिवहन व्यवसायियों एवं परिवहन कम्पनियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर सिटी बस यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में श्री अतुल सिंघल उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि यात्री वाहनों का किराया वर्ष 2012–13 में बढ़ाया गया था। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के मध्य डीजल, मोटर पार्टस, वाहन के मूल्य में वृद्धि, टैक्स, बीमा में वृद्धि हुई है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में विभिन्न स्लैब हेतु जो किराया निर्धारित किया गया था उसमें 19 कि0मी0 से अधिक स्लैब का कोई किराया निर्धारित नहीं है। वर्तमान में देहरादून शहर का विस्तार होने के फलस्वरूप अधिकांश क्षेत्र नगर निगम के अन्तर्गत आ गए हैं, जिसके दृष्टिगत 30 कि0मी0 तक सिटी बस का किराया निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न परिवहन व्यसायियों यथा–जी0एम0ओ0यू0, टी0जी0एम0ओ0यू0, विक्रम/ऑटो यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इनके द्वारा भी निगम के बराबर किराया निर्धारित करने का अनुरोध किया गया। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किराया निर्धारण के सम्बन्ध में समिति का गठन किया गया था।

समिति द्वारा किराया में बढ़ोतरी के सम्बन्ध में 17 मार्च, 2017 को अपनी आख्या दी गई है, जिसमें किराए में 17.44 प्रतिशत की वृद्धि करने की संस्तुति की गई है। देहरादून शहर का विस्तार होने से नगर बस सेवा के कि0मी0 संचालन में वृद्धि हुई है जिसका उल्लेख समिति द्वारा अपनी आख्या में नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण को पूर्व गठित समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया जाता है। समिति को नगर बस सेवा के कि0मी0 संचालन में वृद्धि के फलस्वरूप कि0मी0 स्लैब के अनुसार किराया निर्धारित कर तीन सप्ताह के अन्दर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाते हैं।

संकल्प संख्या–10 (1)

मद संख्या–10(1) के अन्तर्गत श्री राजीव चोपड़ा मैनेजर, इन्सिटीट्यूशनल सैल्स, आयशर कम्पनी के प्रत्यावेदन दिनांक 15–11–2011 पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्राधिकरण द्वारा पर्वतीय मार्गों पर निर्धारित व्हील बेस में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में पूर्व में गठित समिति द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन किया गया। पर्वतीय मार्गों की दशा एवं जान–माल की सुरक्षा के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि समिति की आख्या को आई0आई0टी0 रूड़की के ट्रैफिक इन्जीनियरिंग विभाग की एक्सपर्ट कमेटी को प्रेषित करते हुए उनसे मन्तव्य प्राप्त किया जाय। एक्सपर्ट कमेटी का मंतव्य प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

संकल्प संख्या–10 (2)

मद संख्या–10(2) के अन्तर्गत श्री तमलतरू दत्ता चौधरी, सीनियर मैनेजर सैल्स एण्ड मार्केटिंग, आई0एल0सी0वी0 ट्रक्स, टाटा मोटर्स प्रा0 लि0 के प्रत्यावेदन दिनांक 16–11–2017 पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर

कोई उपस्थित नहीं हुआ। उक्त प्रकरण संकल्प संख्या 10(1) के समान है। अतः आई0आई0टी रूड़की के ट्रैफिक ईन्जीनियरिंग विभाग की एक्सपर्ट कमेटी का मंतव्य प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

संकल्प संख्या–11 (1)

मद संख्या–11(1) के अन्तर्गत श्री अजय रमोला पुत्र श्री सुमेर चन्द रमोला निवासी सी–ब्लॉक, सरस्वती विहार, अजबपुर कलां, देहरादून का प्रत्यावेदन दिनांक 05–04–2017 पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्राधिकरण के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि वाहन के संचालन करने पर ही वाहन पर करों की देयता बनती है। यदि वाहन का संचालन न हो तो वाहन के जमा करों को वापस करने की व्यवस्था है।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24–08–2012 के मद/संकल्प संख्या–11 में दिए गए निर्णय का अवलोकन किया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब/मैक्सी कैब परमिट पर संचालित वाहन को 05 वर्ष से पूर्व वाहन निजी में परिवर्तित करने की अनुमति देने हेतु वाहन स्वामी से परमिट फीस के बराबर प्रशमन शुल्क वसूला जाय तथा इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाय कि वाहन किसी योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित नहीं है। जो वाहन किसी योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित हो ऐसे वाहन को निजी में परिवर्तित करने की अनुमति से सम्बन्धित वित्त पोषित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं परमिट फीस के बराबर प्रशमन शुल्क जमा करने पर अनुमति दी जाए।

संकल्प संख्या–11 (2)

मद संख्या–11(2) के अन्तर्गत दून ट्रैवल ऑनर्स एसोसिएशन रजि0, 38/1 टैगोर विला, देहरादून के दिनांक रहित प्रत्यावेदन, जो दिनांक 10–10–2016 को कार्यालय में प्राप्त हुआ है, पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकारा

गया। पुकारने पर दून ट्रैवल ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि श्री गुरविन्दर सेठी उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्राधिकरण को यह अवगत कराया गया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अधिकार पत्र के नवीनीकरण में जो विलम्ब शुल्क लगाया गया है, वह अत्यधिक है। जबकि अधिकार पत्र के नवीनीकरण का शुल्क 500/– रूपये है। इनके द्वारा अधिकार पत्र के नवीनीकरण पर विलम्ब शुल्क को कम कर अधिकार पत्र के नवीनीकरण शुल्क के बराबर करने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त इनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि व्यवसायिक टैक्सी वाहनों को निजी वाहन में परिवर्तित करने पर परमिट की शेष अवधि का टैक्स जमा कराने की शर्त लगायी गई है। इस शर्त को समाप्त करने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त इनके द्वारा प्राधिकरण को यह अवगत कराया गया है कि रेन्ट ए मोटरसाईकिल के लाईसेन्सों को स्वीकृत करने की शक्ति सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को दी जाए जिससे कि उत्तराखण्ड में पर्यटकों को लाभ मिल सके।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोंपरान्त समस्त भारतवर्ष के टैक्सी/मैक्सी परमिटों पर पॉच वर्ष तक निजी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में मद संख्या–11 (1) में निर्णय लिया जा चुका है। रेन्ट ए मोटरसाईकिल के लाईसेन्सों को स्वीकृत करने की शक्ति सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रदत्त की जाती है तथा अधिकार पत्र नवीनीकरण के विलम्ब शुल्क को कम न करने के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

संकल्प संख्या–12

मद संख्या–12 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 75 में दिए गए प्राविधानानुसार रेन्ट ए मोटरसाईकिल स्कीम 1997 के अन्तर्गत मोटर साईकिल किराए पर दिए जाने के सम्बन्ध में लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रत्यावदेनों पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर आवेदक उपस्थित हुए। इनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मोटरसाईकिल किराया योजना के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क जमा करते हुए लाईसेन्स हेतु आवेदन

किया गया है, परन्तु उन्हें अभी तक लाईसेन्स स्वीकृत नहीं हुआ है। आवेदकों द्वारा उपरोक्त योजना के अन्तर्गत लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण द्वारा इस विषय पर गम्भीरता से विचार विमर्श किया गया। उक्त योजना के तहत आवेदकों को प्राधिकरण की नियमित बैठक में लाईसेन्स स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था है। प्राधिकरण की बैठक होने में समय लगता है। उपरोक्त विषयों पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए, उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को लाईसेन्स जारी करने की शक्ति प्रदत्त करने का निर्णय लिया जाता है। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करते हुए, समस्त औपचारिकताएं पूर्ण पाये जाने पर आवेदक को लाईसेन्स स्वीकृत कर जारी किया जाये। जारी लाईसेंसों का अनुमोदन प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

संकल्प संख्या–13

मद संख्या–13 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 82(2) के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष के टैक्सी कैब परमिट संख्या–13504/एस.टी.ए./टैक्सी/एआई को चांद पुत्र श्री अब्दुल गफूर के नाम से श्रीमती समीना पत्नी स्व0 श्री चांद निवासी सत्तोवाली घाटी, काली मन्दिर एनक्लेव, जी0एम0एस0रोड, देहरादून के नाम हस्तान्तरण के प्रत्यावेदन दिनांक 14–07–2017 पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर श्रीमती समीना पत्नी स्व0 श्री चांद उपस्थित हुईं। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि उनके पति की मृत्यु दिनांक 27–10–2016 को हो गयी थी। उक्त टैक्सी ही उनकी जीविका का साधन है। उनके छोटे–छोटे बच्चे हैं, जिनके पालन–पोषण का उत्तरदायित्व उनके ऊपर है। उनके द्वारा उक्त परमिट का नवीनीकरण करते हुए परमिट को उनके नाम हस्तान्तरण करने का अनुरोध किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परमिट संख्या–13504/एस0टी0ए0/टैक्सी/ए0आई0/2012 का नवीनीकरण स्वीकार करते हुए, परमिटधारक स्व0 श्री चांद की पत्नी श्रीमती समीना के नाम परमिट हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देश दिए जाते हैं कि परमिट के नवीनीकरण के सम्बन्ध में वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात प्राधिकरण की नीति के अनुसार विलम्ब शुल्क लेते हुए, परमिट का नवीनीकरण करें।

संकल्प संख्या–14

मद संख्या–14 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–70, 71 व 72 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत रामनगर–श्री बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के लिए प्राप्त स्थाई सवारी गाड़ी के प्रार्थना पत्रों पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 77 में निम्न प्राविधानों का अवलोकन किया गयाः–

" धारा 69 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एक पर्वतीय सम्भाग का सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पर्वतीय मार्गों के लिये परमिट जिसके अन्तर्गत अस्थायी परमिट भी है, स्वीकृत कर सकेगा, जो राज्य के भीतर अन्य पर्वतीय सम्भाग के या सम्बन्धित अन्य सम्भागों में से प्रत्येक सम्भाग के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के प्रतिहस्ताक्षर के बिना विधिमान्य होगा, और ऐसे परमिट के जारी किए जाने से सम्बन्धित कार्यवाहियों की प्रतियां यथाशीघ्र भेजेगा। "

प्राधिकरण द्वारा उत्तरखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 77 के उक्त प्राविधानों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि रामनगर–श्री बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग पर प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा आवेदकों को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69 में दिये गये प्राविधानानुसार सम्बन्धित प्रादेशिक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाय।

संकल्प संख्या–15

मद संख्या–15 के अन्तर्गत मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून, काठगोदाम एवं टनकपुर से विभिन्न अर्न्तराज्यीय/अन्तरसम्भागीय मार्ग हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर महाप्रबन्धक, (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम उपस्थित हुए। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में बिना परमिट वाहन संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः उनके द्वारा आवेदित परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित मार्गों पर स्थायी सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट हेतु आवेदन किया गया है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा 88 की उपधारा–(1), (5) व (6) में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

"Section 88- Validation of permits for use outside region in which granted- (1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall not be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned;

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State shall be valid in that area without the counter signature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned;

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in that other
State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State;

Provided also that-

(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by

notification in the Official Gazette, specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and

(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State."

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area; shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less than thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which, and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

(6) Every agreement arrived at between the States shall, in so far as it relates to the grant of countersignature of permits, be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in the regional language circulating in the area or route covered by the agreement and the State Transport Authority of the State and the Regional Transport Authority concerned shall give effect to it."

प्राधिकरण द्वारा मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा 88 की उपधारा (1) (5) (6) का अवलोकन किया गया एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–रिट–198/एम0एस0/2010 एवं याचिका संख्या–2112/2011/एम0एस0 का अवलोकन किया गया। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा बिना परमिट वाहन संचालन न करने के निर्देश दिये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम का हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब से पारस्परिक परिवहन करार सम्पन्न हो चुका है। शेष अन्य राज्यों यथा उत्तरप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली जम्मू–कश्मीर, राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार की कार्यवाही गतिमान है।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त परिशिष्ट 'क' में वर्णित अन्तर्राज्जीय मार्गो के परमिटों के आवेदन पत्रों को सम्बन्धित राज्यों के साथ परिवहन करार सम्पन्न होने तक स्थगित किया जाता है।

संकल्प संख्या–16

मद संख्या–16 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिटों से आच्छादित व्यवसायिक वाहनों के ओवरलोडिंग/ओवरस्पीडिंग में दो या दो से अधिक बार प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किये गये चालान, जो वर्तमान में अनिस्तारित हैं, के परमिटों के विरूद्ध मोटरयान अंधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर सम्बन्धित परमिट धारक उपस्थित हुए। जिनका विवरण निम्नवत हैः–

1– मद संख्या–16 के क्रमांक–1 में वर्णित स्टैज कैरिज परमिट संख्या–296/एसटीए पर वाहन संख्या– यूके07पीए–1803 संचालित है, इस वाहन का चालान सी0पी0यू0 पुलिस द्वारा दिनांक 06–01–2015 एवं 07–01–2015 किया गया। परमिट धारक द्वारा उक्त चालानों को राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। परमिट धारक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि सी0पी0यू0 पुलिस को ओवरलोडिंग वाहन के चालान करने की शक्ति नहीं है। प्राधिकरण के समक्ष उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश/नियम प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राधिकरण द्वारा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त चालानों को सब–इंस्पेक्टर, सी0पी0यू0 पुलिस द्वारा किया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट का 01 माह तक निलम्बन किया जाता है। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

2– मद संख्या–16 के क्रमांक–2 में वर्णित स्टैज कैरिज परमिट संख्या–68 पर संचालित वाहन संख्या– यूए07एएन–2355 संचालित है, इस वाहन का चालान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर द्वारा दिनांक 08–08–2012, 13–08–2014 एवं 23–01–2016 में किया गया। परमिट धारक को पत्र संख्या–7097/एसटीए/चालान/नोटस/2017 दिनांक 16–12–2017 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था। पुकारा

गया। पुकारने पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट का 01 माह तक निलम्बन किया जाता है। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

3– मद संख्या–16 के क्रमांक–3 में वर्णित उत्तराखण्ड मैक्सी कैब परमिट संख्या–10479/एसटीए/मैक्सी/यूके/14 पर वाहन संख्या–यूके07टीए–8720 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, विकासनगर एवं परिवहन कर अधिकारी–1, विकासनगर/चकराता द्वारा क्रमशः दिनांक 16–06–2015 एवं दिनांक 07–05–2016 को चालान किया गया। परमिट धारक को पत्र संख्या–5117/एसटीए/मैक्सी/14 दिनांक 09–12–2016 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था। पुकारा गया। पुकारने पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट का 01 माह तक निलम्बन किया जाता है। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

4– मद संख्या–16 के क्रमांक–5 में वर्णित स्टैज कैरिज परमिट संख्या–106 पर संचालित वाहन संख्या– यूए0के0 07 पी0ए0–0582 संचालित है, इस वाहन का चालान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर द्वारा दिनांक 20–08–2014 एवं 19–01–2016 में किया गया। परमिट धारक को पत्र संख्या–1993/एसटीए /चालान/नोटस/2017 दिनांक 15–06–2015 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था। पुकारा गया। पुकारने पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के

साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट का 01 माह तक निलम्बन किया जाता है। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

5– मद संख्या–16 के क्रमांक–6 में वर्णित स्टैज कैरिज परमिट संख्या–26 पर संचालित वाहन संख्या–यू0पी0 05 जी–9081 के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही हेतु मामले को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। पक्षकारों को प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा पक्षकार उपस्थित न होने के कारण प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जाए।

6– मद संख्या–16 के क्रमांक–7 में वर्णित परमिटधारक श्री खीम सिंह पुत्र श्री केशर सिंह के परमिट संख्या–3384/एसटीए/मैक्सी/यूए/07 पर संचालित वाहन संख्या– यूए02–2212 के विरूद्ध धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जाए।

7– मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–272/मा0मु0मं0आ0/2017 दिनांक 05–07–2017 के माध्यम से श्री जितेन्द्र दोशी, 75 चौधरी कालोनी, मंदसोर, मध्य प्रदेश के दिनांक रहित शिकायती पत्र में उल्लिखित यतीन्द्र टूर एवं ट्रैवल्स के माध्यम से संचालित 13 टैक्सियां (UK04TA-3106, 9199, 1932, 7552, 5677, 3175, 1100, 5383, 8007, 4018, 9177, 9533, 8505) पर धारा–86 की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया पुकारने पर शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र दोशी, 75 चौधरी कालोनी, मंदसोर, मध्य प्रदेश को कार्यालय के पत्र संख्या–7077/एसटीए/दस–63/2017 दिनांक 16–12–2017 द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया था। शिकायत में उल्लिखित वाहन स्वामी श्री जितेन्द्र लुधरा, कुर्बान अली, कृष्ण कुमार, मुख्तियार हुसैन, दलवीर सिंह एवं यतेन्द्र उप्रेती उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मध्य प्रदेश के यात्रियों के साथ उनके ट्रैवल एजेन्ट द्वारा हमारी प्रत्येक वाहनों से 400 रूपये बतौर कमीशन वसूलने के लिए कहा गया। जिस पर हमारे कतिपय चालकों द्वारा बुकिंग

से 400 रूपये अधिक लिए गए और और उसे शिकायतकर्ता को दिया गया। हमारे कुछ वाहन चालकों द्वारा बुकिंग से अधिक धनराशि नहीं ली गई जिससे कि वाहन चालकों एवं शिकायतकर्ता के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। इनके द्वारा प्राधिकरण के समक्ष शिकायतकर्ता (ट्रैवल ऐजेन्ट) के साथ दूरभाष पर हुई बातचीत की ऑडियो क्लीपिंग भी सुनायी गयी। प्राधिकरण द्वारा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली–2011 के नियम 18 के उपनियम (1)(तीन) में परिवहन यानों के ड्राईवरों के कर्तव्य, कृत्य और आचरण का उल्लेख किया गया है, जिसमें यात्रियों और आरक्षित यात्रियों के साथ शिष्ट और अनुशासित व्यवहार करने का उल्लेख है। इनके द्वारा उक्त नियम में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है, जिससे कि प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। अतः प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शिकायत में उल्लिखित निम्नलिखित 10 वाहनों के विरूद्ध वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामियों की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिटधारकों पर 500–500 रूपये का अर्थदण्ड निर्धारित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा करने हेतु 02 माह का समय दिया जाता है। अर्थदण्ड जमा न करने पर परमिट 01 माह हेतु निलम्बित किया जाएः–

क्र0सं0	वाहन संख्या	परमिट संख्या
1	UK04TA-5677	16272/STA/TAXI/AI/14
2	UK04TA-9199	21112/STA/MAXI/AI/17
3	UK04TA-4018	2036/STA/TAXI/UK/12
4	UK04TA-9533	21630/STA/MAXI/AI/17
5	UK04TA-8505	20282/STA/MAXI/AI/16
6	UK04TA-9177	21086/STA/TAXI/AI/17
7	UK04TA-8007	19504/STA/MAXI/AI/16
8	UK04TA-5383	15941/STA/MAXI/AI/13
9	UK04TA-1100	5661/STA/MAXI/UK/09
10	UK04TA-1932	6260/STA/MAXI/UK/10

संकल्प संख्या–17

अन्य मद (1)

अन्य मद के अन्तर्गत प्राधिकरण के समक्ष श्री रिजवान शम्सी उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि उनके पिता श्री अब्दुल रहमान की मृत्यु दिनांक 29–06–2017 को हुई है और उनके नाम पर वाहन संख्या–यू0के0–04–पी0ए0–0817 मॉडल 2015 पंजीकृत है। इस वाहन को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा समस्त भारतवर्ष हेतु परमिट संख्या–818 जारी किया गया है जो कि दिनांक 27–01–2022 तक वैध है। इनके द्वारा उक्त परमिट को अपनी माता श्रीमती सुलताना परवीन के नाम पर हस्तान्तरण करने का अनुरोध किया गया है। इसके समर्थन में इनके द्वारा उपजिलाधिकारी रामनगर द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र संख्या–175/प0स0प्र0/2017 दिनांक 13–07–2017 की प्रति संलग्न की गई है। जिसके अनुसार मृतक के निम्न वारिसान बताये गये है :–

क्र0सं0	पारिवारिक सदस्यों का नाम	मृतक से सम्बन्ध
1	श्रीमती सुलताना परवीन	पत्नी
2	रिजवान शम्सी	पुत्र
3	फैसल शम्सी	पुत्र

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82(2) में हस्तान्तरण के सम्बन्ध निम्न प्राविधान किया गया है :–

जहां किसी परमिट के धारक की मृत्यु हो जाती है, वहां परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों का कब्जा लेने वाला उत्तरवर्ती व्यक्ति परमिट का उपयोग तीन मास की अवधि के लिए करेगा मानों वह उसे दिया गया हो :

परन्तु वह तब जब कि ऐसे व्यक्ति ने धारक की मृत्यु के तीस दिन के अन्दर उस परिवहन प्राधिकरण के जिससे परमिट दिया था, धारक की मृत्यु की और परमिट का उपयोग करने के अपने आशय की सूचना दी हो:

परन्तु यह और कि किसी भी परमिट का इस प्रकार उपयोग उस तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा जिसको वह मृत धारक के पास हो, नवीकरण के बिना प्रभावी नहीं रह जाता।

प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा स्व0 श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री मोहम्मद उस्मान निवासी–खताडी, रामनगर, नैनीताल को समस्त भारतवर्ष हेतु परमिट संख्या–818/एस0टी0ए0/बस/ए0आई0/2017 जारी किया गया है जो कि दिनांक 27–01–2022 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यू0के0–04–पी0ए0–0817 मॉडल 2015 संचालित है। आवेदक द्वारा मृतक परमिट धारक की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें परमिट धारक की मृत्यु दिनांक 29–06–2017 को होना प्रदर्शित है। परमिट धारक के पुत्र श्री रिजवान शम्सी एवं फैसल शम्सी द्वारा परमिट को अपनी माता श्रीमती सुलताना परवीन के नाम हस्तान्तरण करने में अनापत्ति दी गई है, किन्तु परमिट धारक की पत्नी श्रीमती सुलताना परवीन की ओर से परमिट हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा परमिट संख्या–818/एस0टी0ए0/बस/ए0आई0/2017 के धारक स्व0 श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री मोहम्मद उस्मान निवासी–खताडी, रामनगर, नैनीताल की पत्नी श्रीमती सुलताना परवीन के नाम परमिट हस्तान्तरण की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि परमिट धारक की पत्नी श्रीमती सुलताना परवीन द्वारा आवेदन पत्र एवं विलम्ब के आधारों सहित शपथपत्र प्रस्तुत किए जाने पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित परमिट निर्गत कर दिया जाए।

(रकित वालिया)	(सुरेन्द्र सिंह रावत)	(राकेश चन्द्र पुरोहित)	(महेश चन्द्र कोशिवा)
सदस्य	सदस्य।	सदस्य।	सदस्य।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
अध्यक्ष।